

रेल सेवा (पेंशन) नियम
(Rail Service Pension Rules)

पेंशन योजना रेलवे में 01.4.1957 से लागू की गई तथा यह पेंशन योजना उन सभी रेल कर्मियों पर लागू होती है जो 16.11.1957 को या उसके बाद रेल सेवा में शामिल हुए ।

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं. एफ (ई) / आर.टी.आई. / 6 दिनांक 16.11.1957)

रेलवे बोर्ड द्वारा अंशदायी भविष्य निधि के लाभार्थियों के लिए पेंशन विकल्प हेतु अंतिम आदेश दिनांक 08.05.87 को जारी किए गए जिसमें कहा गया कि जो कर्मचारी दिनांक 01.01.1986 को उसके पश्चात् इस पत्र के जारी होने के समय तक निरन्तर सेवा में थे यद्यपि वे स्वतः ही पेंशन योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं, उन्हें छोड़कर जिन्होंने विशेष रूप से अंशदायी भविष्य निधि योजना में निरन्तर बने रहने का विकल्प दिया हो । विकल्प देने की अंतिम तिथि 30.09.87 थी ।

यदि कोई रेल कर्मचारी जो 01.01.1986 से 29.09.1987 के बीच सेवानिवृत्ति/मृत हो गया हो, मृत कर्मचारी का परिवार, उनके द्वारा सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय प्राप्त की गई सम्पूर्ण राशि को जमा कराने के बाद इस पेंशन योजना का विकल्प दे सकते थे ।

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं. पी.सी—IV / 87 / आई.एम.पी. / पी.एन.। / दि.08.05.87)

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)–2004

(RBE 225/03 & RBA 05/04, 16/13, 21/13 & 130/15)

यह प्रणाली उन सभी रेल कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू है जिन्होंने दि. 01.01.2004 को या उसके बाद नियमित आधार पर रेल सेवा में कार्यग्रहण किया है इसके अन्तर्गत रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाएँ (Autonomous Bodies) भी सम्मिलित हैं।

(RBE 53/12 & 89/12)

इस योजना के दो टीयर हैं – टीयर-। और टीयर-॥।

टीयर-। : में सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से मूल वेतन + मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करना है। इसमें इसी के समान अंशदान सरकार द्वारा किया जाएगा । अंशदान और निवेश से प्राप्त धन को गैर निकासी वाले पेंशन टीयर-। खाते में डाला जाएगा । वर्तमान में इस निधि का 85% Debt instruments में तथा 15% तक equity & equity linked mutual fund में लगाया गया है ।

केन्द्रीय सरकारी सेवा में 01.01.2004 को या उसके बाद नई भर्ती पर कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ, एस आर पी एफ (राज्य रेलवे भविष्य निधि), (राजकीय भविष्य निधि) सम्बन्धी लाभ उपलब्ध नहीं होंगे । ये निर्देश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, जिन्होंने सरकारी सेवा में 01.01.2004 को व उसके पश्चात् कार्यग्रहण किया है तथा ये उसी तिथि अर्थात् 01.01.2004 से ही प्रभावी हैं।

(RBA 31/09)

इस योजना के टीयर-। में अंशदान की वसूली रेल कर्मचारी के सेवा में कार्यग्रहण करने के माह से अगले माह की पहली तारीख से लागू होगी । सेवा में कार्यग्रहण के माह के दौरान उसके द्वारा अर्जित वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी । इस योजना के टीयर-। में रेल सेवक द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की कटौती कर्मचारी की वेतन तालिका से हर माह की जाएगी ।

01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यग्रहण करने वाले रेल सेवकों से एस.आर.पी.एफ. / जी.पी.एफ. के अंशदान की कोई कटौती नहीं की जाएगी क्योंकि यह योजना उन पर लागू नहीं है ।

नियुक्ति के समय रेल सेवक द्वारा यह विवरण जैसे – कर्मचारी का नाम, पदनाम, वेतनमान, जन्मतिथि तथा निधि के लिए नियमित व्यक्ति का नाम इत्यादि निर्धारित फार्म में दिया जाएगा । निर्धारित फार्म को कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखा जाएगा । सह बिल पास करने वाला लेखाधिकारी निम्नानुसार 16 अंकों वाली एक स्थायी पेंशन खाता संख्या (PPAN) आवंटित करेगा ।

पहले से चौथे अंक तक : कलेण्डर वर्ष जिसमें खाता खोला गया है । (रेलवे द्वारा आंवटित)

पाँचवा अंक : सी.जी.ए. द्वारा आवंटित मंत्रालय कोड (सी.जी.ए. द्वारा रेलवे को कोड नं. "5" आवंटित किया गया है ।

छठे से आठवा अंक : क्षेत्रीय / उत्पादन ईकाई कोड
(वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा एफ.आई.एम.एस. को दिए गए प्रोग्राम के अनुसार रेलवे के वर्तमान दो अंकों के सामने "0" शून्य लगाया गया है) (उदाहरण के लिए पूर्व मध्य रेलवे का 3 अंक का कोड 030 होगा)

09 से 11वां अंक : सह लेखा ईकाई कोड जो उन्हें वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा 001 से शुरू करते हुए आवंटित किया गया है ।

12वें से 16वां अंक : कर्मचारी संख्या (संबंधित लेखा कार्यालय द्वारा 00001 से शुरू करते हुए जनवरी से दिसम्बर तक किया जाएगा ।)

टीयर- । : में जमा की गई राशि पर ब्याज की दर वर्ष, 2007–08, 2008–09 के दौरान 8% रहेगी । यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक लेखा ईकाई से दूसरी लेखा ईकाई में स्थानान्तरित हो जाता है, जो बकाया राशि को भी वहाँ स्थानान्तरित कर दिया जाएगा । फिर भी आहरण अधिकारी द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) में कर्मचारी का एकल लेखा संख्या, माह जिस तिथि तक रेल सेवक ने अंशदान और सरकारी अंशदान जो पेंशन निधि में जमा किया गया है, दर्शाया जाएगा । कर्मचारी को यूनिक “PPAN” एक बार अंवाटित हो जाने के बाद बदला नहीं जाएगा । नई पेंशन योजना के अधीन शासित सरकारी कर्मचारी इस योजना के टीयर- । से 60 वर्ष की उम्र या उसके बाद ही मुक्त हो सकेंगे । इस योजना से मुक्त हो समय संबंधित व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह पेंशन धन के 40% राशि को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा निगमित बीमा कम्पनी में वार्षिक रूप में निवेश करेगा एवं वह बीमा कम्पनी जीवन भर के लिए कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर उसे पेंशन व सेवानिवृत्ति के समय उसके आश्रित माता/पिता, पत्नि को पेंशन उपलब्ध करायेगी । किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की उम्र से पहले इस योजना को छोड़ने के मामले में ‘पेंशन/राँ’ । का 80% धन जमा करवाना अनिवार्य होगा । इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्रीय रिकार्ड रख रखाव एजेन्सी (CRA) तथा कई पेंशन निधि मैनेजर होंगे । एक स्वतंत्र पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) पेंशन मार्केट का विनियम तथा विकास करेगी ।

नई पेंशन प्रणाली अंशदाताओं के अपने खाते को नियोजित करने हेतु दा विकल्प देती है (RBA31/10)

1. क्रियाशील विकल्प निर्धारण (Active Choice – Individual Funds)
2. स्वतः विकल्प निर्धारण (Auto Choice-Lifecycle Fund)

1. क्रियाशील विकल्प निधारण – पृथक निधि

नई पेंशन प्रणाली अंशदाता के समक्ष अपनी NPS पेंशन निधि को निवेश करने हेतु निम्न विकल्प है :-

ई	– ‘उच्च लाभ – उच्च जोखिम’	– बाजार में अधिक इक्विटी उपकरणों में नियोजित करना ।
सी	– ‘मध्यम लाभ – मध्यम जोखिम	– निश्चित आय उपकरणों में नियोजित करना ।
जी	– ‘निम्न लाभ – निम्न जोखिम	– शुद्ध रूप से निश्चित आय उपकरणों में नियोजित करना ।
अंशदाता यह चुन सकता है कि वह अपनी समस्त पेंशन राशि को उपर्युक्त ‘सी’ या ‘जी’ धरोहर वर्ग में, और अधिकतम 50% निधि इक्विटी (धरोहर वर्ग ‘ई’) नियोजित करें । अंशदाता अपनी पेंशन राशि के हिस्से धरोहर वर्ग ‘ई’, ‘सी’ व ‘जी’ में पेंशन फण्ड रेग्युलेटरी डबलपमेन्ट ऑथरिटी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप कर सकते हैं ।		

यदि अंशदाता क्रियाशील विकल्प निर्धारण के अन्तर्गत नियोजन का विकल्प देता है, तो अंशदाता को पेंशन फण्ड रेग्युलेटरी डबलपमेन्ट ऑथोरिटी द्वारा नियक्त 06 पेंशन निधियों में से कोई भी पेशन निधि अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी ।

2. स्वतः विकल्प निर्धारण – जीवन चक्र निधि

नई पेंशन प्रणाली उन प्रतिभागियों को एक सुविधाजनक विकल्प देती है जिन्होंने कि नई पेंशन प्रणाली के नियोजन के संबंध में अपनी कोई इच्छा प्रकट नहीं की हो । ऐसे मामलों में जहाँ अंशदाता किसी भी विकल्प के लिए अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता है तो उसकी निधि ‘स्वतः विकल्प निर्धारण’ के अनुसार नियोजित की जायेगी । यद्यपि अंशदाता आवश्यकता अनुरूप पेंशन फण्ड मैनेजर दर्शायेगा ।

इस विकल्प में नियोजन जीवन चक्र निधि में किया जायेगा जहाँ इस निधि को पूर्व निर्धारित पोर्टफोलियों द्वारा तीनों धरोहर वर्गों में निश्चित किया जायेगा । प्रवेश की न्यूनतम आयु (18 वर्ष) जो कि स्वतः विकल्प निर्धारण के अन्तर्गत निधि का 50% पेंशन निधि ‘ई’ वर्ग, 30% ‘सी’ वर्ग तथा 20% ‘जी’ वर्ग में नियोजित की जायेगी । जब तक प्रतिभागी की आयु 36 वर्ष तक न हो जाय तब तक सभी वर्गों में नियोजन का यही अनुपात रहेगा । 36 वर्ष की आयु व उसके बाद 55 वर्ष की आयु तक प्रतिभागी ‘ई’- व ‘सी’ वर्ग के भार में कमी आयेगी तथा ‘जी’ वर्ग के भार में वार्षिक वृद्धि होगी जो कि ‘ई’ व ‘सी’ वर्गों के 10% – 10% व ‘जी’ वर्ग के 80% तक पहुँचेगी ।

01.01.2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारी को भी रेलवे छुट्टी नियम के अन्तर्गत छुट्टियों के नकदीकरण का लाभ देय होगा तथा सरकारी कर्मचारियों/उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु आदि के समय देय छुट्टी नकदीकरण का लाभी भी देय होगा । (RBA 19/04)

अंशदान, मूल वेतन + मंहगाई भत्ता का 10% होगा और रनिंग कर्मचारियों के मामले में यह मूल वेतन+ वेतन तत्व (मूल वेतन का 30%) + मंहगाई भत्ता के योग होगा । जब कभी माह के मध्य के दौरान सरकारी कर्मचारी की परिलक्षियों में कमी या बढ़ोतरी होती है तो दरों में बदलाव आगामी माह की पहली तारीख को देय दर से ही होगा ।

टीयर- । में सरकारी कर्मचारी तथा सरकार द्वारा देय अंशदान को अगले नजदीकी रूपये के गणकों में पूर्णांकित (round off) कर दिया जाएगा । (RBA 19/04)

वह कार्यालय जो अधिकतम अवधि के लिए कर्मचारी का वेतन आहरण करता है, वहीं कार्यालय एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) में पूरे माह के लिए अंशदान की कटौती करेगा। (RBA 19/04)

सभी सेवा लाभों के लिए NPA को चूंकि वेतन माना जाता है, इसलिए NPS के अंशदान की गणना के लिए भी लेखे में लिया जाएगा।

ऐसे सरकारी सेवक जो 01.01.2004 से पहले सरकारी सेवा में थे तथा तकनीकी त्याग पत्र (Technical resignation) देने के बाद भारत सरकार के अधीन किसी दूसरे पद पर नियक्त होते हैं तो वे पेंशन नियम द्वारा शासित होंगे। (RBA 19/04)

NPS में चूंकि अर्हक सेवा का कोई संबंध नहीं है इसलिए कर्मचारी अगर तकनीकी त्याग पत्र देकर अन्य सरकारी सेवा ग्रहण करता है तो उसका PPAN संख्या वहीं रहेगी तथा इसमें जमा राशि भी उसमें रहेगी।

(Rly. Bd's (Director Finanace/CCA) L No. 2009/AC 11/21/9 dt. 1012.09)

टीयर-। में बर्हिंगमन (Exit) केवल तभी होगा जब किई सरकारी सेवक सरकारी सेवा छोड़ देगा।

चूंकि एनपीएस एक निश्चित अंशदान पर आधारित है इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कुल अर्हक सेवा (Q.S) की सुसंगतता नहीं हैं, परिणाम स्वरूप अनियत मजदूरी सेवाए अर्थात् 01.01.2004 को या उसके बाद समूह घ के पद पर नियमित होने के बाद अस्थायी औहदे के रूप में उसके द्वारा की गई सेवाओं की गणना सेवानिवृत्ति परिलाभों के लिए नहीं की जाएगी। (RBA 205/04)

ऐसे कर्मचारी जो 01.01.2004 से पूर्व नियमित रोजगार में रखने से पूर्व सेवा से संबंधित विभागीय प्रशिक्षण में थे तथा वे प्रशिक्षणाधीन वृत्तिका भी प्राप्त कर रहे थे, वे भी रेल सेवा पेंशन नियम 1993 से शासित होंगे, बशर्ते है कि इस व्यवस्था में प्राशिक्षण के अधीन विताई गई अवधि भी रेल सेवा पेंशन नियम 1993 के अधीन अर्हक सेवा की गणना करने के योग्य हो। (RBE 47/08)

ऐसे एवजी (substitutes) जिन्हें 01.01.2004 के पूर्व अस्थायी औहदा (Temp. status) मिल गया था लेकिन नियमित /समायोजित (regularced@absorbed) 01.01.2004 के बाद हुए है तथा नियमित होने के पश्चात उनकी नियुक्ति तिथि 01.01.204 के पूर्व की है तो वे पुरानी पेंशन योजना से शासित होंगे। (RBE 121/14)

प्रत्येक अभिदाता (कर्मचारी) ड्यूटी पर रहने या विदेश सेवा में रहने के दौरान एनपीएस में मासिक अभिदान (अंशदान) करेगा, किन्तु निलम्बन अवधि में नहीं करेगा। निलम्बन पश्चात माफी या अन्य कारण होने पर उसके ड्यूटी पर आने के बाद पहले दिन से परिलक्ष्यों जिसका वह हकदार है, के लिए अंशदान देना होगा। यदि कोई कर्मचारी (अभिदाता) निलम्बन अवधि के अंशदान का बकाया भुगतान करना चाहे तो पुनः बहाली पर रहने के दौरान परिलक्ष्यों के रूप में माना जायेगा। (RBA 11/09)

यदि कर्मचारी अद्वैतन छुट्टी पर है तो कर्मचारी तथा सरकार का अंशदान छुट्टी वेतन के समानुपाती रहेगा। (RBA 11/09)

यदि कोई अभिदाता अति असाधारण छुट्टी पर है तथा इस अवधि में वेतन का भुगतान नहीं किया गया है तो न तो कर्मचारी की ओर से और न ही सरकार की तरफ से अंशदान का भुगतान किया जाएगा। (RBA 11/09)
सभी नये प्रवेशी जिन्होंने 01.01.2004 को व उसके बाद सेवा में कार्यग्रहण किया है उनको स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या (PPRAN) आवंटन के लिए आवेदन भरकर आहरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आहरण अधिकारी इस आवेदन को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आवंटित एवं इसे चालू करने तथा PRAN किट प्रेषण हेतु अग्रेषित करेगा। PRAN किट प्राप्त होने पर अभिदाता को सौंप दी जाएगी तथा PRAN संख्या को सेवा पुस्तिका तथा स्थानान्तरण के मामले में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्शाया जाएगा। (RBA 30/09)

टीयर - ॥ खाता (RBA 31/10)

(i) नई पेंशन प्रणाली का कोई भी अंशदाता जिसका एक क्रियाशील टीयर-। में खाता है को यह विकल्प है कि वह एक नियोजित व चलित खाता (investment & trading account) खोल सकते हैं जिसे टीयर- ॥ खाता कहा जायेगी।

(ii) टीयर- ॥ एक पेंशन बचत खाता है जिसमें वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निकासी की सुविधा है।

(iii) टीयर- ॥ खाते हेतु पेंशन फण्ड रेगुलेटरी डवलपमेन्ट आथोरिटी द्वारा विभिन्न बैंकों व वित्तीय संस्थानों को उपस्थिति बिन्दु (Point of presence – POP) (जो कि टीयर- । के POP जैसा ही है।) नियुक्त किये गये हैं। पोईन्ट ऑफ प्रजेन्स हेतु पंजीकृत शाखाएँ ही पाईन्ट ऑफ प्रजेन्स व सर्विस प्रोवाईडर हैं। उपस्थिति बिन्दु सेवादाता की सूची व उनके सम्पर्क की जानकारी सेन्ट्रल रिकार्ड किपिंग एजेन्सी की वेब साईट www.npscra.nsdl.com.in पर उपलब्ध है।

(iv) टीयर- ॥ खाता को खोलना: टीयर- ॥ एक स्वेच्छिक बचत सुविधा है जिसमें अंशदाता द्वारा अपनी इच्छानुसार निकासी का प्रावधान है। नई पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आने से कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि अनिवार्य रूप से नई पेंशन प्रणाली से शासित होता है वह टीयर- ॥ खाता चालू करवा सकता है।

इस हेतु उसे फार्म UOS-SIO फार्म “PRAN” CARD की प्रति प्रस्तुत करनी होगी व किसी भी POP-SP के पास प्रारम्भिक अंश दान रु. 1000/- अंश दाता द्वारा देने होंगे तथा अपनी आवश्यकतानुरूप बिना किसी सीमा संख्या के निकासी की जा सकती है। केवल यह शर्त होगी कि वित्तीय वर्ष के अन्त अर्थात् 31 मार्च को अंश दाता को अपने खाते में न्यूनतम राशि रु. 2000/- शेष रहे।

इसके अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम अंशदान रु. 250/- व न्यूनतम चार बार अंशदान करना होगा। टियर-II के लिए अलग से नामांकन, जानकारी व प्रदर्शन योजना लागू की गई है।

टियर-II खाते की वार्षिक खाता रख रखाव के लिए सेन्ट्रल रिकार्ड मिसन एजेन्सी द्वारा कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं है।

नई पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त हुए ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें अशक्तता/अपंगता के कारण सेवानिवृत्ति कर दिया गया या 01.01.2004 के बाद जिन कर्मचारियों व उनके पात्र सदस्यों का निधन हो गया है, ऐसे कर्मचारी व उनके पात्र परिवार सदस्यों को निम्नलिखित लाभ अनन्तिम आधार पर अगले आदेशों तक देय होंगे:-

(RBA 31/09, 18/10, 21/13 & 96/14)

1. सरकारी कर्तव्य के अलावा किसी कारण से हुई अशक्तता स्वरूप सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति (RBA 31/10)
 - (i) सीसीएस (पेंशन) नियम-1972 के नियम 38 व 49 के अनुरूप अशक्तता पेंशन की गणना।
 - (ii) सीसीएस (पेंशन) नियम-1972 के नियम 50 के अनुरूप सेवानिवृत्ति उपदान की गणना।
2. सरकारी कर्तव्य के अलावा किसी अन्य कारण से सेवाकाल में निधन –
 - (i) सीसीएस (पेंशन) नियम-1972 के नियम 54 के अनुरूप परिवार पेंशन (जिसमें बढ़ी दर पर परिवार पेंशन शामिल है) की गणना।
 - (ii) सीसीएस (पेंशन) नियम-1972 के नियम 50 के अनुरूप मृत्यु उपदान की गणना।
3. सरकारी कर्तव्य पर बीमारी/चोट के कारण सरकारी सेवा से मुक्त करना –
 - (i) सीसीएस (एक्स्ट्रा ओर्डीनरी पेंशन) नियम के अनुरूप अपंगता पेंशन की गणना। मृत्यु उपदान की गणना।
 - (ii) सीसीएस (एक्स्ट्रा ओर्डीनरी पेंशन) नियम के साथ सीसीएस (पेंशन) नियम-1972 के नियम 50 के अनुरूप सेवानिवृत्ति उपदान की गणना।
4. सरकारी कर्तव्य के कारण सेवाकाल में निधन –
 - (i) सीसीएस (एक्स्ट्रा ओर्डीनरी पेंशन) नियम और उदारीकृत पेंशनरी अवार्ड्स के अनुरूप असाधारण परिवार पेंशन की गणना।
 - (ii) सीसीएस (पेंशन) नियम-1972 के नियम 50 के अनुरूप मृत्यु उपदान की गणना। कर्मचारी व उनके परिवार को उक्त लाभों के अतिरिक्त समय समय पर बढ़ने वाली मंहगाई पेंशन/मंहगाई राहत भी अनन्तिम रूप से देय होगी।

उक्त अनन्तिम भुगतान को उच्चस्तरीय समिति (HLTF) द्वारा की जाने वाली अनुशंसा के आधार पर बनाए जाने वाले नियम के अन्तर्गत होने वाले भुगतान से समायोजित किया जायेगा तथा यदि कोई कटौती बनती है तो वह इन नियमों के आधार पर भविष्य में देय भुगतान में से की जायेगी।

ये निर्देश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, जिन्होंने सरकारी सेवा में दिनांक 01.01.2004 को व उसके पश्चात् कार्यग्रहण किया है तथा ये उसी तिथि अर्थात् दि. 01.01.2004 से ही प्रभावी होंगे। (RBA 31/09) (Master circular on Product design and exit from NPS) (RBA 16/13 & RBA 96/14)

पेंशन हित लाभ : (01.01.2004 से पूर्व भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए)

इसमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल है :-

1. पेंशन एवं सेवानिवृत्ति उपदान

2. परिवार पेंशन एवं मृत्यु उपदान

साधारण शर्तें :

पेंशन/परिवार पेंशन हेतु दावा करने के लिए विनिमय: (आरएस (पी) आर का नियम-6) जब कोई रेल सेवक सेवानिवृत्ति होता है या किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन या परिवार पेंशन हेतु दावा किया जा सकता है। जिस तिथि को कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति होता है, किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह उसका अंतिम कार्य दिवस माना जाएगा, लेकिन स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति जो कि समय से पूर्व सेवानिवृत्ति है, के मामलों में सेवानिवृत्ति की तिथि को अकार्य दिवस माना जाएगा।

पेंशन की संख्या की सीमाएं :-

(नियम-7)

कोई रेल सेवक एक ही सेवा में या पद पर एक ही समय पर या एक ही सतत सेवा द्वारा दो पेंशन प्राप्त नहीं करेगा।

पेंशन का भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन होना :

(नियम-8)

यदि पेंशनर पर गम्भीर अपराध का दोष सिद्ध हो जाता है या घोर अपचार का दोषी पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी पेंशनर की पेंशन के किसी भाग को स्थाई तौर पर या अवधि विशेष के लिए रोक सकता है अथवा वापिस भी ले सकता है। लेकिन जहाँ पेंशन का कोई भाग रोक या वापिस ले लिया जाता है वहाँ ऐसी पेंशन की रकम 1.01.2006 को या उसके बाद 3500/- रु. (न्यूनतम पेंशन) से कम नहीं होगी।

अनन्तिम पेंशन :

(नियम-10)

जब किसी रेल सेवक की सेवानिवृति के समय उसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो तो सेवानिवृति पर उसे अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जाए जो अधिकतम देय पेंशन से अधिक न हो। जब तक उक्त मामलों का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक सेवा उपादान का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। (RBE 127/14)
छोटी शास्त्रियों के मामले में पेंशन/ग्रेच्युटी में से कटौती करना, वापिस लेना/रोक लेना आदि की प्रक्रिया को वापिस ले लिया गया है। (RBE 106/09)

सेवानिवृति के बाद वाणिज्यिक नियोजन :

(नियम-11)

समूह-ए के अधिकारी को सेवानिवृति के एक वर्ष की अवधि से पूर्व वाणिज्यिक नियोजन हेतु सरकार की पूर्ण अनुमति लेनी होगी। समूह “ए” के सेवानिवृति अधिकारी भारत से बाहर नियोजन तभी स्वीकार कर सकते हैं, जबकि रेल मंत्रालय से पूर्ण अनुमति ले ली गई हो।

अर्हक सेवा :

(नियम-20 से 48)

रेल सेवक की अर्हक सेवा की गणना उस तिथि से होगी, जब से कोई रेल सेवक उस पद पर कार्यभार ग्रहण करता है, जिसके लिए वह पहली बार या तो मूल रूप से या स्थानापन्न क्षमता पर नियक्त हुआ है, किन्तु इसके बाद सेवा में व्यवधान न हुआ हो।

पेंशन या अन्य सेवानिवृति लाभ की गणना हेतु अर्हक सेवा में जोड़े जाने वाले वर्षों के आदेश दि. 01.01.2006 से वापस ले लिये जाने के कारण अब सभी सेवानिवृति लाभों की गणना वास्तविक अर्हक सेवा पर ही की जायेगी। समापन भुगतान के उद्देश्य से सम्पूर्ण अर्हक सेवा 33 वर्ष से अधिक सेवा गणना में नहीं ली जायेगी।

(RBE 38/09, 112/09 & 222/09)
पेंशन नियमों के तहत बकाया सेवा/अतिरिक्त सेवा के लाभ के संबंध में दी गई वर्तमान व्यवस्था को भी इस इस उपरोक्त विस्तार अनुसार संशोधित कर दिया गया है क्योंकि संशोधित नियमों के अनुसार पेंशन, परिलक्षियों अथवा परिलक्षियों के औसत जो भी अधिक हो के 50% की दर से भुगतान किया जाएगा, जो 10/20 वर्ष जैसी भी गणना हो या अधिक किन्तु 33 वर्ष की अर्हक सेवा के आधार पर होगा। (RBE 112/08)

अर्हक सेवा के रूप में नहीं माने जाने वाली अवधि:

(नियम-14)

निम्नलिखित अवधियों को पेंशनरी फायदों के लिए सेवा नहीं माना जाएगा :

1. अंशकालीन रूप से की गई सेवा ।
2. नैमित्तिक बाजार या दैनिक दरों पर ।
3. गैर पेंशनीय पद पर
4. वे पद जहाँ पर भुगतान आकस्मिकताओं (Contingencies) से किए जाते हैं।
5. जहाँ करार के अन्तर्गत कार्य किया गया है।
6. जहाँ कार्य फीस या मानदेय के आधार पर किया गया है।
7. सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने पर ।
8. सेवा से पद त्याग ।
9. अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि ।
10. “अकार्य” (Dies Non) के रूप में मानी गयी सेवा अवधि ।
11. विदेश सेवा जिसके लिए विदेश सेवा अंशदान का भुगतान नहीं किया गया है जब तक कि राश्ट्रपति विशेष रूप से भुगतान में छूट न दी हो ।
12. 18 वर्ष की आयु से पूर्व की गई सेवा । (नियम-20 और RBE 100/2K)
13. विशेष श्रेणी रेल प्रशिक्षु की प्रशिक्षिता अवधि । (RBE 100/2K)
14. ठेका आधार पर की गई सेवा ।
15. शैक्षिक अवकाश की अवधि जो बाद में असाधारण अवकाश मानी गई हो । (RBE 33/11)
16. प्रसूति अवकाश के क्रम में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना मिलने वाली असाधारण छुट्टी अवधि । (RBE 242/01; 72/14)

सेवा जिसे अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा :

1. भारतीय रेलवे, पूर्व राज्य रेलवे, पूर्व कम्पनी रेलवे में लगातार की गई सेवा । (नियम-22)
 2. मिलिट्री या युद्ध सेवा । (नियम-22)
 3. सेवा जिसमें प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि शामिल है, को अर्हक सेवा के रूप में गिना जायेगा । (नियम-23 और 38 तथा रेलवे बोर्ड का पत्र सं. एफ(ई) 111/79/पीएन/1/20 दि. 17.04.87, 31.10.86 और एफ(एनजी) 1/90/आई.सी.आई./ । दिनांक 02.06.92)
- जब कभी प्रशिक्षण अवधि को प्रथम प्रयास में पूर्ण करने में असफल रह जाता है तो उसकी प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि को पेंशन परिलाभ के लिए अर्हक माना जायेगा, यदि वह रिपीट कोर्स में सफल रहता है। ऐसे मामलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि व रिपीट कोर्स के बीच की व्यवधान अवधि को अकार्य दिस (Dies non) के रूप में माना जायेगा । (RBE 41/2000)
4. रेलवे में स्थानान्तरण से पूर्व केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन की गई अर्हक सेवा । (नियम-28)
 5. एवजी के रूप में नियुक्ति के चार माह के बाद की सेवा (एवजी अध्यापक के मामले में तीन माह बाद की सेवा) बशर्ते है कि बिना किसी व्यवधान के वह समूह “घ” या “ग” के पद पर आमेलित (Absorption) हो जाए। (नियम-32)
 6. अस्थाई औहदा प्राप्त नैमेतिक श्रमिक के मामले में अस्थाई औहदा प्राप्ति की तिथि से नियमित नियुक्ति की तिथि तक की गई कुल सेवा का 50% भाग अर्हक सेवा माना जाएगा । (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. एफ(ई) 111/79/पीएन/1/10 दि. 25.08.83, और एफ(ई) 111/86/पीएन-1/02 दिनांक 09.01.87, एफ(ई) 111/79/पीएन-1/20 दि. 17.04.84 व 31.10.86 और एफ(ई) 111/88/पीएन-1/15 दि. 25.01.95)
 7. मेडिकल आधार पर स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी (EOL) की अवधि को भी अर्हक सेवा में गिना जायेगा । चिकित्सा प्रमाण पत्र के अलावा स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टियों की अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी अर्हक सेवा के रूप में गिन सकता है, यदि इस प्रकार की छुट्टियों रेल सेवक को निम्नलिखित कारणों से स्वीकृत की गई हो :-
 - (i) उच्च विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ।
 - (ii) गडबड़ी या प्राकृतिक आपत्ति के कारण कार्य पर न आने के कारण ली गई हो ।
 यह रियायत किसी रेल कर्मचारी को तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसकी वास्तविक अर्हक सेवा, उस समय, जब वह रेल सेवा छोड़ता हो, 10 वर्ष से कम न हो । (नियम-36)
 8. सेवानिवृति के समय 09 वर्ष 09 माह की अर्हक सेवा को पेशन और डी.सी.आर.जी. के उददेश्य से 10 वर्ष की सेवा माना जाएगा । (RBE 41/2000)

परिलाभों का सत्यापन :

रेल सेवकों की परिलक्षियों का सत्यापन क्षेत्रीय रेलों के कार्मिक एवं लेखा विभागों द्वारा नियमित अंतरालों पर किया जाना चाहिये और ऐसी एक पुनःरीक्षा कर्मचारी की सेवानिवृति की तारीख से पहले के तीसरे वर्ष के शुरू में की जानी चाहिए ताकि वेतन एवं भत्तों में कोई अनियमितता, यदि कोई हो तो, को सेवानिवृति से पर्याप्त समय पहले सही किया जा सके और कोई वसूली बनती है तो रेल सेवक के वेतन से समय रहते की जा सकें । (RBE 27/09)

परिलक्षियाँ

(नियम-49 (RBE 112/08)

परिलक्षि से तात्पर्य विभिन्न सेवानिवृत्/मृत्यु उपदान के अलावा सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु स्थापना संहिता के नियम 1303(1) परिभाषित वेतन से है जो कर्मचारी सेवानिवृत्/मृत्यु से पूर्व ले रहा था ।

- (ए) रेल सेवक यदि अधिकतम 120 दिन के अर्जित अवकाश पर हो, जिसके लिए उसे छुट्टी वेतन देय हो तथा इस अवधि में उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि देय हो तथा जो कि वास्तविक रूप से देय न होने के बावजूद परिलक्षियों हेतु उसे आहरित वेतन माना जाएगा ।
- (बी) रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप रनिंग कर्मचारियों, लोको निरीक्षकों, डॉक्टरों को देय “वेतन तत्व” भी जो कि मूल वेतन का क्रमशः 55%, 30% व 25% होगा, परिलक्षियों की गणना हेतु लिया जायेगा ।
- (सी) RBE-112/08 के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में मूल वेतन से आशय निर्धारित वेतन बैंड/वेतन+लागू ग्रेड पे से है, किन्तु इसमें अन्य प्रकार का कोई वेतन जैसे— विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है । (RBE 14/15)

सभी प्रकार के उपादानों के मामले में सेवानिवृति / मृत्यु की तिथि को देय मंहगाई भत्ता परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा ।

पेशनरी लाभों की गणना हेतु NPA व मूल वेतन का योग रु. 85,000/- से अधिक नहीं हो सकता है।
(RBE 122/08)

निर्माण संगठन में कर्मचारी द्वारा तदर्थ पदोन्नति पर किया गलया गया वेतन पैरा 1303 IREC-II के अन्तर्गत वेतन की श्रेणी में रहेगा तथा RS (Pension) Rules के नियम 49 के अन्तर्गत परिलब्धियों के अन्तर्गत माना जायेगा ।
(RBE 124/10 & 85/11)

औसत परिलब्धियों :

औसत परिलब्धियों का निर्धारण किसी रेल सेवक की सेवानिवृति की तिथि से पहले अंतिम 10 माह में आहरित वेतन से किया जाता है। रनिंग कर्मचारियों, लोको निरीक्षकों, डाक्टरों की औसत परिलब्धियों की गणना के लिये मूल वेतन का क्रमशः 55%, 30% व 25% शामिल किया जाता है।

यदि रेल कर्मचारी अपनी सेवा के 10 माह में निलम्बन के अधीन है तो उपर्युक्त निलम्बन की अवधि को औसत परिलब्धियों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा तथा 10 माह से पर्व की समान अवधि को शामिल किया जाएगा ।

नोट: पेशन, ग्रेचुटी और छुट्टी नकदीकरण के उददेश्य हेतु चार्ज भत्तों (Charge allowance) को 01.01.86 से वेतन के रूप में माना जायेगा ।
(RBE 64/97)

2. 01.01.96 से सेवानिवृति के समय कर्मचारी द्वारा धारित पद और वेतनमान का न्यूनतम की तुलना औसत परिलब्धियों के साथ की जाएगी, यदि पद और वेतनमान का न्यूनतम वेतन औसत परिलब्धियों से अधिक है तो इस प्रकार आई हुई राशि को पेंशन की गणना के लिए लिया जाएगा ।
3. लोको पायलट (मेल, पैसेन्जर) और मेल गार्ड को 01.01.2006 से स्वीकृत अतिरिक्त भत्तों को उनकी सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु लेखे में नहीं लिया जाएगा । (हालांकि ऐसे अतिरिक्त भत्तों पर मंहगाई भत्ता देय होगा ।
(RBE 43/09)

पेशन की श्रेणियाँ :

पेशन निम्न प्रकार की है :-

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. अधिवार्षिता पेशन । | 2. सेवानिवृति पेशन । |
| 3. अशक्तता पेशन । | 4. प्रतिकर पेशन । |
| 5. अनिवार्य सेवानिवृति पेशन । | 6. अनुकम्पा भत्ता । |

पेशन की रकम :

सरकारी सेवक 20 / 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद पेशन पाने का हकदार होता है। उसे उसकी सेवानिवृति की तिथि से पूर्व के अंतिम 10 माह के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों/अंतिम परिलब्धियों, जो भी उसको लाभकारी हो, उसका 50% पेशन के रूप में भुगतान किया जाएगा । (01.01.2006 से लागू)

पंशन फार्मूला :

(01.01.2006 से पूर्व के सेवानिवृत्तियों के लिए)

पेशन:

सेवानिवृति के समय प्राप्त औसत परिलब्धियों का $50\% \times \frac{\text{अर्हक सेवा}}{33 \text{ वर्ष}}$

अथवा

सेवानिवृति के समय वेतनमान में न्यूनतम वेतन का $50\% \times \frac{\text{अर्हक सेवा}}{33 \text{ वर्ष}}$

पेशन फार्मूला :

(01.01.2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्तियों होने वालों के लिए)

पेशन:

औसत परिलब्धियों का 50% अथवा सेवानिवृति के समय अंतिम मूल वेतन (ऐ बेण्ड में वेतन+ ग्रेड ऐ) का $50\% \times \text{अर्हक सेवा} / (\text{न्यूनतम } 10 \text{ वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा किन्तु अधिकतम } 33 \text{ वर्ष तक - केवल ऐसे सेवानिवृत्ति पेशन के मामलों को छोड़कर जिनमें न्यूनतम 20 वर्ष की अर्हक सेवा आवश्यक है।)$

अथवा

सेवानिवृति के समय न्यूनतम ऐ इन बेण्ड+ग्रेड ऐ का $50\% \times \text{अर्हक सेवा} / (\text{अर्हक सेवा के न्यूनतम } 10 \text{ वर्ष या अधिक किन्तु अधिकतम } 33 \text{ वर्ष तक की अर्हक सेवा - केवल ऐसे सेवानिवृत्ति पेशन के मामलों को छोड़कर जिनमें न्यूनतम 20 वर्ष की अर्हक सेवा आवश्यक है।)$

लेकिन उपरोक्त शर्त अनिवार्य सेवानिवृति पेशन व अनुकम्पा भत्ता के मामले में लागू नहीं होगी। (RBE 120/11)

01. अधिवार्षिता पेंशन :

(IRCA Vol. II Para 1801, 1802 (नियम -51)

अधिवार्षिता पेंशन ऐसे रेल सेवक को प्रदान की जाती है जो कि निर्धारित आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत होता है। 01.11.73 से समूह बी, सी और डी सेवाओं तथा 01.04.74 से समूह क सेवाओं में कार्यरत रेल सेवक उस माह की अंतिम तारीख की अपराह्न सेवानिवृत होगे, लेकिन यदि जन्म तिथि माह की पहली तारीख है तो वह रेल सेवक पिछले माह की अंतिम तारीख को सेवानिवृत हो जाएंगे, जबकि जन्मतिथि माह की पहली तारीख के अलावा कोई और तारीख होने पर वे रेल सेवक उसी माह की अंतिम तारीख को सेवानिवृत होंगे। न्यूनतम 10 वर्ष (09 वर्ष 09 माह) की अर्हक सेवा पूर्ण होने पर अधिवार्षिता पेंशन देय होगी अन्यथा अधिवार्षिता पेंशन देय नहीं होगी, उन्हें इसके एवज में सविस्त ग्रेच्युटी (सेवा उपादान) जो कि प्रत्येक 06 माह पर 1/2 माह की परिलक्षिता के बराबर की राशि होगी वह देय होगी।

02. सेवानिवृति पेंशन:

(नियम -52)

यह पेंशन निम्नलिखित मामलों में स्वीकृत की जाती है :—

- (ए) जब कोई रेल सेवक 20 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद स्वयं के अनुरोध पर रेल सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत होता है।
- (बी) जब कोई रेल सेवक 55 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद प्रशासनिक हित में सेवानिवृत किया जाता है।

20 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद रेल सेवक स्वेच्छिक सेवानिवृति के लिए 03 माह का लिखित नोटिस दे सकता है। वह इस नोटिस अवधि को माफ करने के लिए भी आवेदन दे सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी सेवानिवृति के अनुरोध को स्वीकार या उचित व पर्याप्त कारण होने पर अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकार करने का कारण रिकार्ड किया जाएगा एवं संबंधित कर्मचारी को निर्धारित समयावधि में इस बाबत सूचित किया जाएगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी स्वेच्छिक सेवानिवृति को नोटिस अवधि के खत्म होने से पूर्व अस्वीकार नहीं करता है तो स्वेच्छिक सेवानिवृति नोटिस अवधि के पूर्ण होने की तिथि से प्रभावी होगी। रेल सेवक नोटिस अवधि में अपना स्वेच्छिक सेवानिवृति आवेदन वापस ले सकता है। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)-1-2007 / आर.टी7 | दि 0 26.05.08) (नियम -52)

03. अशक्तता पेंशन:

(नियम -55)

अशक्तता पेंशन ऐसे रेल सेवक के लिए स्वीकृत की जाती है जो चिकित्सा आधार पर या सभी चिकित्सा श्रेणियों के लिए अयोग्य घोषित हो गया हो या विकॉटिकृत (अर्थात् उस पद / चिकित्सा श्रेणी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, जिसमें वह चिकित्सा परीक्षा से पूर्व था) होने के कारण सेवानिवृत हो गया हो।

अशक्तता पेंशन के लिए 10 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा होना आवश्यक है।

04. प्रतिकर पेंशन:

(नियम -63)

यदि किसी रेल सेवक को उसके द्वारा धारित स्थायी पद के समाप्त होने के कारण सेवा से डिस्चार्ज करने हेतु चुना जाता है, तो जब तक उसे दूसरे पद पर तैनात नहीं किया जाता है, जब तक प्रतिकर पेंशन दी जाएगी। उसके स्थायी पद के समाप्त के कारण उसे डिस्चार्ज करने से 03 महीने पहले उसे नोटिस देना आवश्यक है।

05. अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन

(नियम -64)

शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत किए गए रेल सेवक को इस प्रकार की शास्ति आरोपित करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृति की तिथि को उसको देय प्रतिकर पेंशन (Compensation Pension) अथवा उपादान अथवा दोनों, जो कि इसके 2/3 भाग से कम नहीं हो व देय पूर्ण पेंशन तथा उपादान से अधिक न हो, स्वीकार कर सकता है। अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा आवश्यक है।

01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृति के समय के वेतनमान के समकक्ष नए वेतनमान (छठे वेतन आयोग) का न्यूनतम 50% पेंशन देने संबंधी नियम अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन के मामले में लागू नहीं होगा।

(RBE 120/11)

06. अनुकम्पा भत्ता :

(नियम -65)

ऐसे रेल सेवक को जिसे सेवा से पदच्युत (Dismissed) किया गया है या हटा दिया गया (removed) है, उन्हें पेंशन या उपादान देय नहीं होता है। किन्तु यदि यह मामला ऐसा हो, कि उस पर विशेष विचार किया जाए तो रेल सेवा से पदच्युत या हटाने वाला सक्षम प्राधिकारी यह लाभ स्वीकृत कर सकता है, लेकिन यह इस शर्त के अधीन होगा कि राशि कर्मचारी को प्रतिकर पेंशन (Compensation Pension) के रूप में अगर राशि स्वीकृत की जाती तो उसके 2/3 से अधिक नहीं होगी। लेकिन 01.01.06 से यह 3500/- रु. से कम भी नहीं होगी।

01.01.06 से पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृति के समय के वेतनमान के समकक्ष नए वेतनमान (छठे वेतन आयोग) का न्यूनतम 50% पेंशन देने सम्बन्धी नियम अनुकम्पा भत्ता के मामले में लागू नहीं होगा।

(RBE 120/11)

ऐसे पुराने मामलों में जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने अनुकम्पा भत्ता के लिए या उसके विरुद्ध कोई विशेष आदेश पारित नहीं किये हैं तथा पदच्युत/हटा दिए गए कर्मचारी अथवा मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों से प्रतिवेदन के माध्यम से यदि कोई उचित मामला विचार के लिए आता है तो संबंधित अनुशासनिक अधिकारी उस पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर पुनः विचार कर सकता है :—

(RBE 164/08)

- (i) अनुशासनिक और अपील कार्रवाई संबंधी दस्तावेज तथा सेवा रिकार्ड उपलब्ध हो ताकि दोषों की गम्भीरता एवं इसमें शामिल अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए उचित निर्णय लिया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी स्तर पर अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत पर विचार नहीं किया गया है। पदच्युत/हटाए गये कर्मचारी का सेवा अभिलेख इसलिए भी आवश्यक है ताकि उसके द्वारा की गई सेवाओं के प्रकार का अध्ययन किया जा सके तथा अनुकम्पा भत्ता स्वीकृति के संबंध में अर्हक सेवा की गणना की जा सके ।
- (ii) मामले पर विचार करते समय केवल उन तथ्यों पर विचार नहीं किया जायेगा जिनके आधार पर रेल सेवक को पदच्युत/हटाया गया हो, बल्कि उसके द्वारा की गई सेवाओं का प्रकार भी ध्यार में रखा जायेगा । यदि रेल सेवक को बेर्इमानी के आधार पर पदच्युत/हटाया गया हो तो अनुकम्पा भत्ता स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।
- (iii) यद्यपि अनुकम्पा भत्ता देने के लिए गरीबी/आर्थिक स्थिति को मिसाल देना कोई आवश्यक शर्त नहीं है फिर भी मामले पर विचार करते समय इस कारण को व व्यक्ति विशेष पर आश्रित पत्ति और बच्चों की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए ।
- (iv) इस प्रकार के मामलों की समीक्षा करने पर यदि सक्षम प्राधिकारी पदच्युत/हटाए गए रेल कर्मचारी को अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत करता है तो यह उसे पदच्युत/हटाने की तिथि से लागू होगा ।
- (v) यदि सक्षम प्राधिकारी मृत रेल कर्मचारी की पत्ति या योग्य पारिवारिक सदस्य को परिवार पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय करता है तो अनुकम्पा भत्ता कर्मचारी के पदच्युत/हटाने की तिथि से कल्पित (notinally) रूप में स्वीकृत किया जाएगा, ताकि परिवार को परिवार पेंशन के लिए योग्य बनाया जा सके और इस प्रकार के मामलों में देय परिवार पेंशन पदच्युत/हटाए गए रेल कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से अगली तिथि से शुरू होगी ।

नोट: अनुकम्पा भत्ता पेंशन की श्रेणियों में से एक है। अतः इस हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा 10 वर्ष आवश्यक है।

(RBE 79/05)

वृद्ध पेंशनरों को बढ़ी दर पर पेंशन:

पेंशन/वृद्ध पेंशनरों को प्राप्त पेंशन की मात्रा 001.01.2006 से निम्नानुसार बढ़ाई गई है :—

पेंशनर की आयु

80 वर्ष से 85 वर्ष के बीच
85 वर्ष से 90 वर्ष के बीच
90 वर्ष से 95 वर्ष के बीच
95 वर्ष से 100 वर्ष के बीच
100 वर्ष और अधिक

अतिरिक्त पेंशन की मात्रा

मूल पेंशन का 20%
मूल पेंशन का 30%
मूल पेंशन का 40%
मूल पेंशन का 50%
मूल पेंशन का 100%

उदाहरण: किसी मामले में जहाँ पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन 10,000 रु. प्रतिमाह है तो पेंशन को इस प्रकार दर्शाया जाएगा :—

- 1) मूल पेंशन = 10,000/- रुपये और
- 2) अतिरिक्त पेंशन = 20,000/- रुपये प्रतिमाह

अतिरिक्त पेंशन की राशि को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दर्शाया जाएगा। 80 वर्ष या अधिक की आयु हो जाने पर अतिरिक्त पेंशन की मात्रा माह के प्रथम दिन से जिसमें उसकी जन्म तिथि है, देय होगी । पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर मंहगाई राहत भी देय होगी ।

(RBE 146/08)

उदाहरण: यदि किसी पेंशनर/परिवार पेंशनर को जन्म तिथि 26.10.1930 है, तो वह पेंशन की अतिरिक्त मात्रा/परिवार पेंशन के लिए 80 वर्ष की आयु होने पर 01.10.2010 से देय होगी ।

(RBE 146/09)

पेंशनर/परिवार पेंशनर की जन्म तिथि में बदलाव – वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनर को अतिरिक्त पेंशन संबंधी निर्देश ।

(RBE 127/15)

वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनर को 80 वर्ष या अधिक आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति पी.पी.ओ. में उपलब्ध जन्म तिथि के आधार पर ।

(RBE 152/15)

सेवानिवृति/मृत्यु उपादान :

(नियम-69/1 & 70)

रेल सेवक को सेवानिवृति उपादान उसके द्वारा 05 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर देय होता है। यह राशि प्रत्येक आधे वर्ष पर 1/4 माह की परिलब्धि के बराबर लेकिन किसी भी स्थिति में 16 1/2 माह की परिलब्धि से अधिक देय नहीं होगी। देय सेवानिवृति/मृत्यु उपादान 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा, (01.01.2006 से लागू)

जिन रेल सेवकों की सेवानिवृति के समय अर्हक सेवा 09 वर्ष 09 माह से कम रहती है उन्हें सेवा उपादान का भुगतान प्रत्येक छः माह की अवधि की अर्हक सेवा पर आधे माह की परिलब्धि के बराबर देय होगा।

डी.सी.आर.जी के लिए अंतिम रूप से गणना की गई राशि को अगले उच्च रूपये के गुणकों में पूर्णांकित (round off) कर दिया जाएगा।

सेवानिवृति उपादान का सूत्र:

परिलब्धि X अर्हक सेवा

2

नैमेतिक श्रमिकों को उपादान :

रेलवे में कारखाना स्थापना, चालू लाईन तथा परियोजना में नियोजित नैमेतिक श्रमिकों को भी निम्न सूत्रानुसार उपादान का भुगतान देय है।

सूत्र = मासिक वेतन X 15 X अर्हक सेवा

25

मृत्यु उपादान का सूत्र (जहाँ अर्हक सेवा 20 वर्ष या ज्यादा हो)

मृत्यु उपादान = परिलब्धि x अर्हक सेवा (अधिकतम 33 वर्ष)

यदि किसी रेल सेवक की सेवा में रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपादान निम्नानुसार देय होगा:

01	एक वर्ष से कम सेवा	परिलब्धि का दुगना
02.	एक वर्ष व अधिक किन्तु 05 वर्ष से के सेवा	परिलब्धि का छः गुना
03	पाँच वर्ष व अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धि का बारह गुना
04	20 वर्ष व उससे अधिक सेवा	प्रत्येक छः माह पर आधे माह की परिलब्धि लेकिन अधिकतम 33 माह की परिलब्धि तक जिसकी अधिकतम राशि 10 लाख रुपये है।

सेवानिवृति/मृत्यु उपादान के मामलों में अधिकतम 33 वर्ष की अर्हक सेवा को लाभ ही गणना में लिया जाता है। सेवानिवृति/मृत्यु उपदान का देरी से भुगतान:

यदि सेवानिवृत होने वाले रेल कर्मचारी, जो कि अधिवार्षिता सेवानिवृति के अलावा सेवानिवृत होते हैं, की कोई त्रुटि न होने तथा प्रशासनिक देरी के कारण ग्रेच्युटी का विलम्ब से भुगतान किया जाता है तो विलम्ब से किये गये भुगतानपर ब्याज निम्न प्रकार से देय होगा।

(RBE 76/91, 72/12 & 65/13)

(अ) ऐसे रेल सेवकों के मामलों में जहाँ सेवानिवृति के दिन उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक / न्यायिक प्रक्रिया अनिर्णित हो तथा उपदान उनके अंतिम निर्णय तक रोक लिया गया हो—

- (i) जहाँ ऐसी प्रक्रिया के निर्णयानुसार रेल सेवक को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है तथा उपदान का भुगतान कर दिया गया है, प्रकार के मामलों में उपदान की राशि का भुगतान सेवानिवृति की अगली तारीख से देय हुआ माना जायेगा तथा यदि यह भुगतान इसके तीन माह पश्चात् किया गया है तो ब्याज का भुगतान सेवानिवृति की तिथि से तीन माह पश्चात् से अनुमेय देय होगा।
- (ii) ऐसे रेल सेवकों के मामलों में जहाँ अनुशासनात्मक / न्यायिक प्रक्रिया के चलते उनकी मृत्यु हो जाने पर प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है, ऐसे मामलों में उपदान का भुगतान मृत्यु के बाद की तिथि से देय माना जायेगा। यदि मृत्यु तिथि से तीन माह के बाद भुगतान किया जाता है तो ब्याज का भुगतान मृत्यु से तीन माह के बाद से देय होगा।
- (iii) ऐसे मामलों में जहाँ रेल सेवकों को अनुशासनात्मक / न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष पर उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं माना जाता है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है कि उपदान का भुगतान कर दिया जाए, ऐसे मामलों में उपदान की राशि का भुगतान इस प्रकार के निर्णय जारी होने की तिथि से देय होंगे यदि उपदान की राशि का भुगतान निर्णय जारी होने के तीन माह के बाद किया जाता है जो ब्याज का भुगतान देय होगा।

(ब) फौजदारी अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए कर्मचारी:

मात्र अपील दायर करने और/अथवा सजा के कार्यान्वयन पर स्थनग आदेश दे दिये जाने से दोषी ठहराए जाने का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता अतः तब तक कि अपीलीय अदालत द्वारा अपील को मान नहीं लिया जाता अथवा दोष सिद्धि रद्द नहीं हो जाती, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा दायर की गई 'सजा' के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया हो तो भी सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी फौजदारी

अदालत की दोष सिद्धि के आधार पर कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसे मामलों के समापन भुगतान मामलों में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाये ।

(RBE 65/13)

(स) अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति के अलावा सेवानिवृत्ति एवं सेवाकाल में मृत्यु के मामलों में :

ऐसे मामले जो कि रेल सेवकों की अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति के अलावा सेवानिवृत्ति के हो एवं सेवाकाल में मृत्यु के हो, सेवानिवृत्ति कर्मचारी/मृत कर्मचारी के पेंशन पेपर्स तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।

जहाँ ऐसे मामलों में उपदान भुगतान में सेवानिवृत्ति की तिथि/मृत्यु की तिथि से 06 माह से ज्यादा का विलम्ब होता है तो 06 माह से ज्यादा के विलम्ब भुगतान पर ब्याज देय होगा ।

यदि किसी मामले में मृत्यु उपदान को इस कारण से रोक लिया गया है कि उसके लिए एक से अधिक लोगों ने दावेदारी की है, ऐसे मामलों में इन आदेशों के अनुसार बयाज के भुगतान हेतु स्वतः ही/पात्र नहीं मान लिया जायेगा । ऐसे प्रत्येक मामलों में अलग से विचार विमर्श तथा जॉच के बाद गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा । जहाँ कहीं ब्याज का भुगतान किया जाता है वह उस महीने की अंतिम दिन तक का किया जाना चाहिये, जिस महीने उपदान का भुगतान किया जा रहा है ।

इस बात का इन्तजार किये बिना कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का नतीजा क्या रहा, ब्याज अगर देय है तो उसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए ।

(RBE 76/91 & 72/12)

नाबालिग के रु. 10,000/- तक के मृत्यु/सेवा उपदान के हिस्से का भुगतान उसके संरक्षक को संरक्षकता प्रमाण पत्र दिये बिना भी किया जा सकता है ।

(RBE 262/89)

उपरोक्त निर्देशों में संशोधन करते हुए निर्णित किया गया कि नाबालिग के DCRG के हिस्से का 20% या रूपये 1.50 लाख, जो भी कम हो, का भुगतान उसके संरक्षक को संरक्षकता प्रमाण पत्र दिये बिना किया जा सकता है ।

(RBE 07/15)

रेल सेवक (पेंशन सारांशीकरण) Commutation of Penbsion नियम 1993 व पेंशन सारांशीकरण नियम2013

(अध्याय IV नियम 19 & RBE 151/12)

यह उन रेल सेवकों पर लागू होगा जो किसी भी श्रेणी की पेंशन के हकदार हो। पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान रेल सेवक के लिखित अनुरोध के आधार पर ही किया जा सकता है। यदि पेंशनर पें” न के कम्यूटे” न के लिए फार्म नहीं भरता है तो पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

रेल सेवक पेंशन के अधिकतम 40% तक के अंश के कम्यूटेशन का हकदार होगा । यदि पेंशन के अंक को कम्यूटेड करते समय गणना में रूपये का कोई अंश (Fraction) आए तो इस प्रकार के अंश को कम्यूटेशन के उद्देश्य हेतु अनदेखा कर दिया जायेगा ।

कम्यूटेशन की गणना मूल्य सूची (table of values) के अनुसार की जाती है। कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी प्रकार की पेंशन, केवल अशक्तता पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन तथा अनुकम्पा भत्ता को छोड़कर अन्य पेंशन को वह बिना चिकित्सा परीक्षा के कम्यूट कराना चाहे तो उसे सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आवेदन देना चाहिए

यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय/न्यायिक कार्यवाही चल रही है तो इस एक वर्ष की गणना इस प्रकार की कार्यवाही के निपटारे के आदेश जारी होने की तिथि से की जाएगी ।

निम्नलिखित मामलों में पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान चिकित्सा परीक्षा के बाद ही किया जाएगा, यदि रेल कर्मचारी:

1. अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ हो ।
2. शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त दी गई हो तथा पेंशन स्वीकृत की गई है ।
3. यदि अनुकम्पा भत्ता ले रहा हो ।
4. सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है किन्तु कम्यूटेशन के लिए उसका आवेदन उसकी सेवानिवृत्त से एक वर्ष की अवधि में कार्यालय प्रधान को प्राप्त नहीं हुआ हो ।

पेंशनर की पेंशन से भुगतान के अगले माह से केवल पेंशन के कम्यूटेड अंश को ही घटाया जाएगा ।

पेंशन के कम्यूटेड अंश को कम्यूटेशन राशि के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष के बाद पुनः स्थापित किया जाएगा

कम्यूटेशन की गणना के लिए सूत्र

पेंशन का अंश x 12 x आयु समूह के अनुसार कम्यूटेड मूल्य = कम्यूटेशन राशि

कम्यूटेशन राशि के लिए उपादान की भौति कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है।

विभागीय/न्यायिक प्रक्रिया के निर्णित होने पर कम्यूटेशन की गणना :

(i) सेवानिवृत्त रेल सेवक विभागीय/न्यायिक प्रक्रिया के निर्णित होने पर यदि दोष मुक्त हो जाता है तो उसे सेवानिवृत्ती की अगली तिथि से पेंशन की कम्यूटेशन राशि देय मानी जायेगी, बशर्ते उसने सेवानिवृत्ती के समय कम्यूटेशन के भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो । यदि रेल सेवक द्वारा पेंशन के कम्यूटेशन हेतु पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था तथा दोष मुक्त होने के अंतिम आदेशों के एक वर्ष गुजरने से पूर्व ऐसा आवेदन कर दिया है तो ऐसे मामलों में उन्हें बिना किसी चिकित्सा जॉच के पेंशन कम्यूटेशन का भुगतान देय

होगा तथा जिस तिथि से कम्यूटेशन देय है वही कम्यूटेशन फेक्टर गणना में लिया जायेगा । इस प्रकार के सभी मामलों में सेवानिवृत रेल सेवक को चिकित्सा परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा ।

(ii) जिन मामलों में सेवानिवृत रेल सेवक विभागीय/न्यायिक प्रक्रिया में दोष मुक्त नहीं ठहराया जाता है तथा दण्ड आरोपित करते हुए पेंशन के भाग को रोका जाता है या सरकारी अप्रसन्नता से अवगत करवाया जाता है तो कम्यूटेशन उस दिन से देय होगा जिस दिन अंतिम निर्णय लिया गया बर्ताव है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा ऐसे निर्णय की तिथि या उससे पूर्व कम्यूटेशन हेतु आवेदन किया हो । ऐसे मामले में कम्यूटेशन मूल्य की गणना हेतु वही कम्यूटेशन फेक्टर लिया जायेगा, जिस दिन कम्यूटेशन देय बनता है ।

यदि कम्यूटेशन हेतु आवेदन अंतिम निर्णय के आदेशों के बाद लेकिन एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया गया हो तो ऐसी रिथित में कम्यूटेशन, आवेदन करने की तिथि से देय होगा तथा कम्यूटेशन मूल्य की गणना हेतु जिस तिथि से कम्यूटेशन देयच है वही कम्यूटेशन फेक्टर लिया जायेगा ।

(iii) सेवानिवृत रेल सेवकों को जिन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है अथवा नहीं, यदि कम्यूटेशन का आवेदन अंतिम निर्णय की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दिया गया हो तो कम्यूटेशन चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि से देय होगा तथा कम्यूटेशन मूल्य की गणना हेतु कम्यूटेशन फेक्टर वही लिया जायेगा जिस दिन कम्यूटेशन देय है ।

परिवार पेंशन योजना 1964:

(नियम -75)

परिवार पेंशन नियम निम्न पर लागू होंगे :-

1. दि. 01.01.1964 व उसके पश्चात् पेंशनरी सीपनाओं संबंधी सेवा में आने वाले रेल सेवकों पर ।
2. ऐसे रेल सेवक जो पेंशन योग्य सेवा में थे तथा 01.01.1964 से पूर्व सेवानिवृत या मृत हो गये तथा उन पेंशनरों पर भी लागू होंगे जिन्होंने पहले परिवार पेंशन हेतु विकल्प नहीं दिया हो ।
3. मूल रूप में परिवार पेंशन योजना अंशदायी (contributary) थी तथा इस योजना के अन्तर्गत आने वाले रेल कर्मियों की मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान (DCRG) में से दो माह की परिलक्ष्य (emoluments) की कटौती होती थी । दिनांक 22.09.77 से यह योजना गैर अंशदायी हो गई तथा यह निर्णित किया गया कि परिवार पेंशन योजना हेतु कोई अंशदान नहीं लिया जायेगा ।

(RBd's. letter No. F(E)III 76PN 1/23 dt. 06.10.77 (NR PS 6855)

तिथि जब से परिवार पेंशन देय होगी:

1. किसी रेल सेवक को नियमित नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेल सेवा में नियुक्ति हेतु मेडिकल रूप से उपयक्त घोषित करने के बाद मृत्यु हो जाने के अगले दिन से ।
2. नियमित रेल सेवक की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से ।
3. पेंशनर की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि के अगले दिन से ।

परिवार पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्रता :

परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिए परिवार को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

श्रेणी— ।

1. अथवा विधुर को मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो
2. पुत्र / पुत्री (विधुवा पुत्री भी शामिल) को, उसकी शादी अथवा पुनर्विवाह अथवा उस तिथि तक जब तक अर्जन शुरू करता / करती है अथवा 25 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो ।

2(A) मानसिक / शारीरिक असक्षम बच्चे विवाह पश्चात् भी परिवार पेंशन के पात्र होंगे ।

(RBE 12/13)

श्रेणी— ॥

1. अविवाहित / विधुवा / तलाकशुदा पुत्री (जो उपर्युक्त श्रेणी— । में शामिल नहीं हो) उसके विवाह / पुनर्विवाह अथवा उस तिथि तक जब तक वह अर्जन शुरू नहीं करती अथवा उसकी मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो, 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्री भी दिनांक 06.09.07 से (RBE 116/07) विधुवा / तलाकशुदा पुत्री जो 25 वर्ष से कम आयु की थी उन्हें दिनांक 01.01.98 से परिवार पेंशन शुरू की गई थी तथा दिनांक 25.08.04 से 25 वर्ष की उम्र पश्चात् भी परिवार पेंशन की पात्र होगी, की भौति अन्य शर्तों को पूरा करने पर परिवार पेंशन की हकदार होगी । (इसे RBE 99/13 द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है विधुवा / तलाकशुदा पुत्री, अन्य शर्त पूर्ण करने पर उस तिथि से पेंशन प्राप्त करने की हकदार होगी जिस तिथि से इस हेतु उसकी बारी / नम्बर आता है) परिवार पेंशन की स्वीकृति अविवाहित / विधुवा / तलाकशुदा पुत्री को उनकी जन्म तिथि से क्रम में देय होगी । उनमें से उम्रे में छोटी परिवार पेंशन के लिए योग्य तब तक नहीं होगी जब तक की उससे अगली बड़ी पुत्री परिवार पेंशन के लिए अयोग्य नहीं हो जाती ।

25 वर्ष की आयु से बड़ी अविवाहित / विधुवा / तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन केवल तभी दी जाएगी, जब 25 वर्ष से कम आयु के अन्य योग्य बच्चे को परिवार पेंशन प्राप्त करने से रोक दिया गया हो तथा परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अशक्त बच्चा नहीं हो ।

(RBE 152/06, 116/07 & 99/13)

विधवा/तलाकशुदा पुत्री अगर पिता/माता के स्वर्गवास के समय (जिसकी भी बाद में मृत्यु हुई हो) अगर वैवाहित जीवन व्यतीत कर रही थी तो परिवार पेंशन प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी । (RBE 109/14)

यदि बड़ी पुत्री ऐसे समय विधवा अथवा तलाकशुदा होती है जब उसकी छोटी विधवा/तलाकशुदा बहन पहले से ही परिवार पेंशन प्राप्त कर रही हो, तो इस स्थिति में छोटी विधवा/तलाकभुदा पुत्री लगातार जीवन भर के लिए परिवार पेंशन प्राप्त करती रहेगी । बड़ी विधवा/तलाकभुदा पुत्री केवल तभी परिवार पेंशन की हकदार होगी जब परिवार पेंशन प्राप्त कर रही छोटी पुत्री नियमों के अनुसार आय व अन्य मानदण्डों के कारण अयोग्य हो गई है या उसकी मृत्यु हो गई है । (RBE 98/08)

किसी भी उम्र की विधवा/तलाकशुदा पुत्री परिवार पेंशन की पात्र होगी इस हेतु विधवा/तलाकशुदा पुत्री का अपने पिता के निवास पर रहना आवश्यक नहीं है तथा चाहे उसके बच्चे रोजगार में भी क्यों न हो ।

(RBE 44/05, 98/08)

2- माता—पिता जो रेल सेवक के जीवित रहते समय उस पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे वे भी परिवार पेशान के पात्र हैं। कि यदि मृत कर्मचारी या तो अविवाहित अथवा उसके पीछे न तो उसकी विधवा और न ही बच्चे हो। आश्रित अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को उनकी मृत्यु/पुनर्विवाह न करने तक परिवार पेंशन जारी रहेगी

मृत रेल कर्मचारी के माता—पिता भी मूल वेतन के 30% की दर से परिवार पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे, (01.01.98 से लागू) यदि वे रेल सेवक की सेवा के दौरान उस पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो तथा उनकी किसी भी स्त्रोत से मासिक आय 3500/- रु. + वर्तमान मंहगाई राहत से अधिक नहीं होनी चाहिये (01.01.2006 से लागू) उन्हें पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को प्रति वर्ष आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि माता व पिता दोनों जीवित हो तो परिवार पेंशन पहले मृत रेल सेवक की माँ को देय होगी । परिवार पेंशन केवल तभी स्वीकृत होगी जब मृत कर्मचारी के अपने पीछे विधवा/विधुर/योग्य पुत्र और पुत्री न हो (RBE 195/99, 128/11)

अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्रियाँ जो श्रेणी—।। में है तथा आश्रित माता—पिता को परिवार पेंशन केवल तभी देय होगी जब श्रेणी—। के अन्य योग्य परिवार सदस्यों को परिवार पेंशन के हकदार होने से रोका गया हो तथा परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अशक्त बच्चा भी नहीं हो । सम्बन्धित श्रेणीयों में बच्चों को परिवार पेंशन की स्वीकृति उनकी जन्म तिथि के क्रम अनुसार देय होगी तथा उनमें से छोट को परिवार पेंशन के योग्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक की उससे अगली बड़ा बच्चा इस श्रेणी में परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिए अयोग्य नहीं हो जाता ।

इस संबंध में DOPT द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहाँ मृत रेल कर्मचारी की विधवा व बच्चे न हो तो आश्रित माता — पिता सीधे ही परिवार पेंशन के हकदार हो जायेंगे । लेकिन जहा विधवा या बच्चे हैं वहा माता —पिता को परिवार पेंशन विधवा/बच्चों की हकदारी/योग्यता समाप्त होने पर ही देय होगी (आय संबंधी भार्त पूर्ण करने पर) (RBE 128/11)

रेल सेवक/पेंशनर के आश्रित अशक्त भाई बहन को भी परिवार की परिभाषा में शामिल किया गया है तथा वे भी दिनांक 07.08.09 या हकदारी की तिथि, जो भी बाद में हो, से परिवार पेंशन के हकदार हैं। (RBE 159/09)

पेंशनर/परिवार पेंशनर की मृत्यु पश्चात् बुर्जुग माता/पिता व विकलांग बच्चों/सहोदर भाई या बहन (sibling) को संशोधित PPO's को जारी कराने हेतु होने वाली दिक्कतों के मददेनजर यह निश्चित किया गया है कि कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर द्वारा सेवानिवृति पूर्व या पश्चात्/कर्मचारी की मृत्यु पश्चात् किसी भी समय इस में आवेदन दिया जा सकता है तथा ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकारी ऐसे विकलांग बच्चे/सहोदर भाई या बहन/माता—पिता के पक्ष में, सभी शर्त पूर्ण करने पर, स्वीकृति आदेभा जारी करेंगे तथा यथोचित समय इस आधार पर इन्हैं परिवार पेंशन देय होगी तथा कोई अन्य आदेश/Authorization की आवश्यकता नहीं होंगी। (RBE 26/13)

ऐसे माता (विधवा) व पिता (विधुर) जो अपने पति /पत्नि की मृत्यु के कारण 3500/- प्रतिमाह से अधिक परिवार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे अपने सेवारत पुत्र/पुत्री के स्वर्गवास के कारण दूसरी परिवार पेंशन निम्न शर्तों सहित प्राप्त करने के हकदार होंगे:-

1. आश्रित मानकों के निर्धारण हेतु पेंशन/परिवार पेंशन में देय मंहगाई राहत को 3500/- रूपये की सीमा से बाहर रखा जायेगा ।

2. माँ (विधवा) पिता (विधुर) जो अपने मृत पति/पत्नि के लेखे पर पेंशन/परिवार पेंशन 3500/- रु प्रतिमाह से अधिक प्राप्त कर रहे हों (लागू मंहगाई राहत के बिना) उन्हें भी उसकी/उसके पुत्र/पुत्री की मृत्यु के परिणाम स्वरूप परिवार पेंशन/द्वितीय परिवार पेंशन मृत्यु की तिथि या पुनर्विवाह जो भी पहले हो, तक देय होगी ।

(RBE 50/07 & 112/08)

नोट: आश्रित पेंशन लाभार्थी को पूर्व के एक मृत कर्मचारी/पेंशनर के कारण देय परिवार पेंशन को आश्रित मानकों के निर्धारण हेतु गणना में नहीं किया जायेगा । (RBE 05/12)

उपर्युक्त परिवार पेंशन की स्वीकृति अन्य सभी शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगी।

3. 01.01.2006 से परिवार पेंशन के लिये आश्रितता मानक न्यूनतम परिवार पेंशन तथा उस पर देय मंहगाई राहत के साथ होगी। (RBE 112/08)

4. मृत रेल कर्मचारी की ऐसी विधवा जिसके संतान नहीं हो, उसकी पुनर्विवाह के बाद भी इस शर्त के साथ परिवार पेंशन का भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सकी स्वतंत्र आय अन्य सभी स्त्रोतों से केन्द्र सरकार द्वारा देय निर्धारित न्यूनतम परिवार पेंशन के बराबर या अधिक न हो जायें। ऐसे मामलों में परिवार पेंशनर द्वारा पेंशन वितरण प्राधिकारी को प्रत्येक छः माह से उसकी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में घोषणा देनी आवश्यक होगी। (RBE 112/08 & 48/11)

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड /DOPT के पत्र दिनांक 11.04.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 01.01.2006 से पूर्व मृत रेल कर्मी की संतान विहिन विधवा परिवार पेंशन की पात्र होगी चाहे उस विधवा का पुर्ण विवाह 01.01.2006 के पूर्व हुआ हो या बाद में। हालांकि ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ दिनांक 01.01.2006 से ही उपार्जित (accrue) होगा। (RBE 48/11)

5. यदि रेल कर्मचारी का पुत्र/पुत्री मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त, जिसमें मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से अपंग, नेत्रहीन या निःशक्ता सम्मिलित है, जिस कारण वह 25 वर्ष की आयु होने के बाद भी आजीविका उपार्जन करने में अशक्त है, तो ऐसे पुत्र/पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन देय होगी। (नियम 75(6))

6. (i) अशक्त/मंद बुद्धि बच्चों को परिवार पेंशन देने से पूर्व मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र आवश्यक है। मेडिकल बोर्ड में चिकित्सा निदेशक या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या क्षेत्रीय अस्पताल या मण्डल प्रभारी तथा दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक सदस्य मनोरोग/शारीरिक अपंगता क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। अशक्त/मंदबुद्धि बच्चे की परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले अभिभावक द्वारा, यदि अपंगता स्थाई तो एक बार व यदि अपंगता अस्थाई हो तो पाँच वर्ष में एक बार चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। (RBE 157/08, 118/14)

(ii) मानसिक विकार से ग्रस्त पुत्र/पुत्री के मामले में परिवार पेंशन रेल सेवक अथवा पेंशनर द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगी। रेल कर्मचारी अथवा पेंशनर द्वारा अगर अपने जीवन के दौरान ऐसा कोई नामांकन कार्यालय को प्रस्तुत नहीं कियाहो, तो बाद में पति/पत्नि पेंशनर द्वारा नामित व्यक्ति को, मानसिक विकार से ग्रस्त पुत्र/पुत्री के सम्बन्ध में परिवार पेंशन संरक्षक के तौर पर देय होगी। यदि वह अवयर्स्क है तो न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण—पत्र के आधार पर संरक्षक के माध्यम से देय होगी। (RBE 100/2000)

(iii) शारीरिक/मानसिक विकार ग्रस्तता के सम्बन्ध में प्रशासन को सूचना न देना मात्र सम्बन्धित व्यक्ति को परिवार पेंशन से अपात्र नहीं कर सकता। (RBE 12/10 & 120/12)

(iv) संरक्षक का नामांकन नहीं होने के मामले में राष्ट्रीय स्तर समिति (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम—1999 के अधीन गठित प्राधिकृत निकाय) द्वारा जारी कानूनी संरक्षकता प्रमाण—पत्र को भी न्यायालय से जारी संरक्षकता प्रमाण—पत्र की बाध्यता के बिना स्वीकार किया जा सकता है। (RBE 197/05)

नोट: अभिभावक/पुत्र/पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वे प्रति वर्ष कोषालय/बैंक में एक प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेंगे कि:-

(i) उसने आजीविका कमाना शुरू नहीं किया है।

(ii) पुत्री के मामले में उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। (RBE 73/09)

(मानसिक/शारीरिक असक्षम बच्चे विवाह पश्चात भी परिवार पेंशन के पात्र होंगे।) (RBE 12/13)

7. परिवार पेंशन के ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी/पेंशनर द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत विवरण/दस्तावेजों में परिवार के सदस्यों (यथा विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री तथा आश्रित विकलांग भाई या बहन (dependent disabled sibling) का नाम नहीं दिया गया हैं, के सम्बन्ध में DOPT/रेल मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी/पेंशनर की विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री तथा आश्रित विकलांग भाई या बहन सम्बन्धित आदेश जारी होने की तिथि से परिवार पेंशन प्राप्त करने के पात्र यह देखे बिना होंगे कि कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु तिथि क्या है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ सम्बन्धित आदेश जारी होने की तिथि से देय होंगे। (RBE 69/11)

8. जब परिवार पेंशन एक से अधिक विधवाओं को दी जानी हो तो सभी को बराबर हिस्सों में दी जायेगी तथा किसी विधवा की मृत्यु हो जाने पर परिवार पेंशन का उसका हिस्सा उसके योग्य बच्चे को देय होगा। लेकिन यदि उसे विधवा के कोई बच्चा नहीं है तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा समाप्त नहीं होगा बल्कि दूसरी विधवाओं में बराबर हिस्सों में तथा जहाँ एक ही विधवा हो तो उसे ही पूरा हिस्सा देय होगा।

9. जहाँ रेल कर्मचारी के जुड़वा बच्चे हो तो परिवार पेंशन इस प्रकार के जुड़वा बच्चों को समान हिस्सों में देय होगी। यदि इनमें से कोई बच्चा परिवार पेंशन प्राप्त करने के अयोग्य हो जाता है तो परिवार पेंशन का उसका

हिस्सा समाप्त नहीं होगा तथा दूसरे जुड़वा बच्चे को देय होगा किन्तु यदि दोनों बच्चे अयोग्य हो जाते हैं तो परिवार पेंशन अगले योग्य अकेले/जुड़वा (जैसा भी मामला हो) बच्चे को देय होगी।

अवयस्क बच्चे की परिवार पेंशन संरक्षकता प्रमाण के आधार पर संरक्षक को अथवा न्यायालय द्वारा नियक्त संरक्षक के माध्यम से दी जायेगी। (RBE 71/04)

10. सौतेली माँ परिवार पेंशन के लिये परिवार की परिभाषा में नहीं आती हैं।

11. सेवानिवृत्ति के बाद के पति/पत्नी भी पेंशनर्स की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से परिवार पेंशन के हकदार हैं (RBE 13/91) ऐसे मामलों में निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये:-

(i) जैसे ही पेंशनर्स द्वारा विवाह/पुनर्विवाह किया गया है तो वह इस घटना से (विवाह प्रमाण—पत्र की प्रति के साथ) उस कार्यालय प्रधान को अवगत करवायें जिसके द्वारा उसका पेंशन प्रकरण तैयार किया गया था।

(ii) कार्यालय प्रधान, सत्यापन के पश्चात पेंशन भुगतान आदेशों में शुद्धिकरण हेतु कागजात लेखा कार्यालय को भेजेगा।

जहाँ पूर्व विवाह से पेंशनर्स के कोई बच्चा नहीं है तो सेवानिवृत्ति पश्चात के पति/पत्नी पूरी परिवार पेंशन के पात्र हैं तथा जहाँ पूर्व विवाह से पेंशनर्स के कोई बच्चा है तो ऐसे मामलों में MRPR के पेरा 801(10) के अनुरूप परिवार पेंशन देय होगी।

(iii) लेखा कार्यालय द्वारा शुद्धिकृत पेंशन भुगतान आदेश की प्रति सम्बन्धित पेंशन वितरण एजेन्सी के साथ एक प्रति पेंशनर्स को भेजी जायेगी।

(iv) बच्चे, जिसमें सेवानिवृत्ति पश्चात पैदा हुये बच्चे भी सम्मिलित हैं, के मामलों में उस समय लेखा विभाग द्वारा नया पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जायेगा जबकि उन बच्चों की परिवार पेंशन प्राप्त करने की बारी आयेगी। [RBd's L.No.: 87AC II/33 dt. 29.09.93 (P.No.: 360 of RBO 93)]

12. यदि कोई रेल सेवक गुम/खो जाता है एवं उसका पता नहीं चलता है तो उसके बकाया निपटान का भुगतान उसके नामित/वारिस को गायब होने के अगले माह से सात वर्ष की समाप्ति पर इस शर्त पर किया जायेगा कि दावेदार द्वारा कर्मचारी की मृत्यु के उचित व अविवादित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हो अथवा न्यायालय का निर्णय/आदेश प्रस्तुत किया गया हो कि सम्बन्धित कर्मचारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत मान लिया गया हो। [RBd L.No.:F(E)III/86/PN-I/17 dt.19.09.86 (RBE 63/91,3/94,8/92,190/02 & 68/13)]

इस हेतु निम्न प्रक्रिया शर्तों की पूर्ति आवश्यक है:-

(i) यदि कोई रेल सेवक गुम हो जाता है एवं उसका पता नहीं लगता हो, तो उसके परिवार द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिये एवं एक रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिये की कर्मचारी को पुलिस द्वारा पूर्ण प्रयास करने के बाद भी खोजा नहीं जा सका है।

(ii) कर्मचारी के परिवार सदस्य/आश्रित से एक क्षतिपूर्ति बाण्ड लिया जायेगा कि यदि वह (कर्मचारी) मिल जाता है या उपस्थित होकर दावा करता है तो ऐसे सभी भुगतान कर्मचारी को देय भुगतान में से समायोजित कर दिये जायेंगे।

(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर परिवार के पात्र सदस्य को बकाया अंतिम वेतन, भविष्य निधि, छुट्टी वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा।

(iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के छ: माह बाद परिवार पेंशन (RBE 98/10 & 24/12) एक साल बाद समूह बीमा योजना की बचत निधि, सेवानिवृत्त उपादान, का भुगतान किया जायेगा, तथा

(v) सात वर्ष बाद समूह बीमा योजना की पॉलिसी राशि उपादान का अंतर अर्थात् मृत्यु उपादान (-) सेवानिवृत्ति उपादान गुम कर्मचारी के नामिनी/वारिस को उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण करने पर देय होगा फिर चाहे गायब कर्मचारी की अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति गायब होने के अगले माह से सात वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही क्यों न पड़ती हो।

13. सरकारी सेवक का विद्रोही/आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिये जाने पर परिवार के योग्य सदस्य को पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के छ: माह बाद परिवार पेंशन देय होगी तथा सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु उपादान के भुगतान/स्वीकृति के सम्बन्ध में वहीं प्रक्रिया व नियम लागू होंगे जो गुम व्यक्ति के मामले में लागू होते हैं। (RBE 75/09)

14. यदि पति और पति दोनों रेलवे/सरकारी कर्मचारी हो, तथा पेंशन नियम व्यवस्था द्वारा शासित हो तथा उनमें से एक की मृत्यु सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद हो जाती है तो मृत कर्मचारी के सम्बन्ध में परिवार पेंशन जीवित पति/पत्नि को देय होगी तथा पति/पत्नि दोनों की मृत्यु हो जाने के मामले में जीवित बच्चे/बच्चों को यह देय होगी। मृत माता-पिता के सम्बन्ध में दो परिवार पेंशन, नीचे दी गई सीमा के आधार पर देय होगी:- (RBE 132/05)

(i) यदि जीवित बच्चा/बच्चे बढ़ी हुई दर पर दो परिवार पेंशन पाने के हकदार हो तो दोनों मिलाकर 15000/- रूपये मासिक तक सीमित रहेगी।

(ii) यदि जीवित बच्चा/बच्चे दो परिवार पेंशन, एक सामान्य दर पर तथा दूसरी बढ़ी हुई दर पर, पाने के हकदार हैं तो दोनों की राशि 15000/- रूपये मासिक तक सीमित रहेगी।

(iii) यदि जीवित बच्चा/बच्चे सामान्य दर पर दो परिवार पेंशन पाने के हकदार हैं तो दोनों की राशि मिलाकर 9000/- रुपये मासिक पर सीमित रहेगी।

उपर्युक्त परिवार पेंशन की स्वीकृति अन्य शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगी।

15. मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के अमान्य विवाह से हुये बच्चे भी अपनी बारी आने पर पेशनरी लाभों के हकदार होंगे हालांकि ये बच्चे तब तक परिवार पेंशन के पात्र नहीं होंगे जब तक विधिक विवाहित पत्नि परिवार पेंशन प्राप्त कर रही हैं। (RBE 30/97)

परन्तु उपरोक्त निर्देशों में संशोधन करते हुये विनिश्चित किया गया है कि मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के अमान्य विवाह से हुये बच्चे भी विधिक विवाहित पत्नि के साथ-साथ परिवार पेंशन के पात्र होंगे। (RBE 150/12)

01.01.1996 से परिवार पेंशन अंतिम वेतन का 30% के आधार पर निकाली जायेगी, जो कि न्यूनतम 1275/- रुपये (01.04.2004 से 1913/- रुपये) होगी और सरकार में उसके उच्चतम वेतन का अधिकतम 30% से अधिक नहीं होगी। यदि इस प्रकार गणना करते समय कोई राशि 1913/- रुपये से कम आये तो परिवार पेंशन को 31.12.2005 तक 1913/- रुपये पर निर्धारित की जायेगी एवं 01.01.2006 को या उससे आगे न्यूनतम 3500/- रुपये रहेगी। (RBE 149/08)

16. पति/पत्नि के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य द्वारा परिवार पेंशन आवेदन करने पर जिसका नाम/विवरण कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं, उसके द्वारा पीपीओ की प्रति ही उपलब्ध करवाई गई हैं तो ऐसी स्थिति में फार्म 14 अनुसार दिया गया प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पेन कार्ड, दसवीं का प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, CGHS भी स्वीकार किये जाने चाहिये। (RBE 22/12)

बढ़ो हुई दर पर परिवार पेंशन :

(नियम 75)

ऐसे रेल सेवक जो कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 द्वारा शासित नहीं है उनकी 7 साल व उससे अधिक की लगातार सेवा किये जाने के बाद सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी/नौकरी से हटाये जाने के बाद मृत्यु हो जाती है तथा वह किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने के योग्य/हकदार था तो उनके परिवार को परिवार पेंशन कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के 50% के समान अथवा दुगनी दर पर परिवार पेंशन, (जो भी कम हो) देय होगी। यह लाभ अधिकतम 07 वर्ष की अवधि तक, उस तिथि तक जबकि रेल सेवक की आयु 67 वर्ष हो, इनमें से जो भी पहले हो, तक देय होगी। (RBE 49/99)

जब कोई रेल सेवक कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 द्वारा शासित हो तथा 07 वर्ष व उससे अधिक की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी/नौकरी से हटाये जाने के बाद मृत्यु हो जाती हैं तथा वह किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने के योग्य/हकदार था तो उसके परिवार को मिलने वाली परिवार पेंशन की दर उसके द्वारा अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर या परिवार पेंशन का डेढ़ गुना, दोनों में से जो भी कम हो, देय होगी।

उपर्युक्त अनुबन्धों में देय परिवार पेंशन की राशि किसी भी मामले में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसको स्वीकृत पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त नियमों में आंशिक संशोधन हो गया है तथा अब किसी रेल सेवक की के दौरान मृत्यु हो जाने पर रेल सेवक की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से 10 वर्ष तक, बिना ऊपरी आयु सीमा की शर्त के, बढ़ो हुई दर पर नियमों के अधीन उसके परिवार को परिवार पेंशन देय होगी, लेकिन किसी पेंशनर की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को बढ़ो हुई दर पर देय परिवार पेंशन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

फिर भी ये आदेश उस मामले में लागू नहीं होंगे, जहाँ बढ़ो हुई दर पर देय परिवार पेंशन की 07 वर्ष की अवधि 01.01.2006 को पूरी हो चुकी हो तथा उसका परिवार इस तिथि को सामान्य परिवार पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

(RBE 149/08)

योग्य विधवा/तलाकशुदा/कुवारी पुत्रियाँ 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी बढ़ो हुई दर से परिवार पेंशन प्राप्त करने की हकदार रहेगी। (RBE 150/11)

पुरानी परिवार पेंशनरों के लिये :

पुराने परिवार पेंशनरों के लिये उपलब्ध परिवार पेंशन की मात्रा निम्नानुसार बढ़ाई गई है:-

परिवार पेंशन की आयु

परिवार पेंशन को अतिरिक्त मात्रा

80 से 85 वर्ष के बीच

परिवार पेंशन का 20%

85 से 90 वर्ष के बीच

परिवार पेंशन का 30%

90 से 95 वर्ष के बीच

परिवार पेंशन का 40%

95 से 100 वर्ष के बीच

परिवार पेंशन का 50%

100 वर्ष और अधिक

परिवार पेंशन का 100%

परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा राशि पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दर्शायी जायेगी।

(RBE 146/08)

80 वर्ष और अधिक की आयु पूर्ण होने पर परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा उस माह के प्रथम दिन से देय होगी जिसमें कर्मचारी की जन्मतिथि पड़ती हो, पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर मंहगाई राहत भी देय होगी। यदि पेंशनर/परिवार पेंशनर की सही जन्मतिथि कार्यालय रिकार्ड में नहीं हो किन्तु उसकी आयु के सम्बन्ध में कोई संकेत/जानकारी उपलब्ध हो तो अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन पेंशनर की आयु 80 वर्ष, 85 वर्ष आदि होने के अगले वर्ष की पहली जनवरी से देय होगी। यदि पेंशन भुगतान आदेश या कार्यालय रिकार्ड में सही जन्मतिथि/उम्र उपलब्ध नहीं हो तो पेंशन/परिवार पेंशनर को उसकी जन्मतिथि/आयु के सम्बन्ध में सूचना नहीं होने के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा उसे निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की राजपत्रित अधिकारी/विधानसभा सदस्य द्वारा सत्यापित प्रमाणित चार प्रतियाँ पेंशन वितरण प्राधिकारी के पास जमा करानी होगी:-

1. पेन कार्ड, 2. पासपोर्ट, 3. केन्द्रीय समूह स्वास्थ्य योजना कार्ड (CGHS Card), 4. दसवीं का प्रमाण—पत्र अथवा ड्राईविंग लाइसेंस (जिसमें जन्मतिथि के बारे में सूचना दी गई हो) (RBE 190/08)

वोटर पहचान पत्र व unique identification Authority of India (UDAI) को भी आये/जन्मतिथि के साक्ष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते पेंशनर/परिवार पेंशनर यह प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं हैं तथा उसके पास उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावें में से कोई भी नहीं हैं। (RBE 146/09 & 124/11)

सेवानिवृत्त परिचय पत्र, विधवा पास परिचय पत्र, रेलवे मेडिकल आईकार्ड को भी आयु/जन्मतिथि के साक्ष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। (RBE 169/2000)

पेंशन से सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण :

1. भारतीय रेलवे में उत्तर रेलवे द्वारा 01.08.1986 को पहली पेंशन अदालत आयोजित की गई।

2. पेंशनर की संतुष्टि हेतु उसे विस्तृत पेंशन गणना शीट दी जानी चाहिये।

[RBd's L.No.: 92AC-II/21/121 dt. 26.10.1992 (P.S.No. 633 of RBO 92)]

3. अशक्तता पेंशन की राशि सामान्य परिवार पेंशन से कम नहीं होगी।

(रेल सेवक पेंशन नियम 1993 का नियम 69 सी)

4. सेवानिवृत्ति के समय पेंशन योग्य अर्हक सेवा वाले रेल सेवक की सम्बन्धित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50% से कम पेंशन की राशि नहीं होगी। (RBE 112/08)

5. बढ़ी हुई परिवार पेंशनर की मूल पेंशन से अधिक नहीं होगी।

(रेल सेवक पेंशन नियम 1993 का नियम 75 (4) (बी))

6. अन्तिम निर्धारण के बाद एक बार स्वीकृत पेंशन को पेंशनर का अहित करने हेतु संशोधित नहीं किया जा सकता है, यह संशोधन तब ही किया जायेगा जब कि लिपिकीय त्रुटि के कारण ऐसा हुआ हो।

(रेल सेवक पेंशन नियम 1993 का नियम 90)

7. यदि कोई रेल कर्मचारी अथवा मृत रेल कर्मचारी का परिवार किसी भी श्रेणी की पेंशन/परिवार पेंशन का हकदार है तो वे प्रतिमाह 3500/- रुपये से कम प्राप्त नहीं करेंगे। (RBE 112/08)

8. रेलवे में अधिकतम पेंशन, अधिकतम वेतन की 50 होगी किन्तु न्यूनतम पेंशन 3500/- रुपये मासिक।

(RBE 112/08)

9. सेवानिवृत्त के बाद के पति/पत्नी भी पेंशनर की मृत्यु की तिथि की अगली तिथि से परिवार पेंशन के हकदार होंगे। (RBE 13/09 & 41/2000)

10. मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के अमान्य विवाह से उत्पन्न बच्चों को भी पेंशनरी परिलाभ उनकी बारी आने पर देय होगा किन्तु वे कानूनी शादी शुदा पत्नी के पेंशन प्राप्त करने के दौरान इसके लिये दावा नहीं कर सकते हैं। (RBd's L.No.: F (E) III/07/PN 1/3 dt. 14.02.1997, NRPS 11355/97 & RBE 30/97)

परन्तु उपरोक्त निर्देशों में संधोधन करते हुये यह विनिश्चित किया गया है कि मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के अमान्य विवाह से हुये बच्चे भी विधिक विवाहित पत्नी के साथ—साथ परिवार पेंशन के हक्क होंगे। (RBE 150/12)

11. ‘विवाहित’ पुत्र या पुत्री जो किसी व्याधि जैसे मानसिक अशक्तता, जिसमें मानसिक/शारीरिक निःशक्तता या अशक्तता भी सम्मिलित हैं, वे परिवार पेंशन के हकदार नहीं होंगे। (RBE 133/05)

लेकिन इस प्रावधान में संशोधन कर दिया गया हैं तथा अब मानसिक/शारीरिक अस्क्षम बच्चे ‘विवाह पश्चात्’ भी परिवार पेंशन के हक्क होंगे। (RBE 12/13)

12. समूह बीमा योजना तथा छुट्टी वेतन (Leave encashment) का देरी से भगुतान होने पर इन पर ब्याज देय नहीं हो, क्योंकि ये सेवानिवृत्ति परिलाभों की प्रकृति में नहीं आते हैं। (RBE 15/2000 & 72/12)

13. 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कि 6500—10500 के पूर्व संशोधित वेतनमान में थे, वे इस वेतनमान की वेतन आयोग पश्चात् संशोधित ग्रेड पे 4600/- के अनुरूप अपनी पेंशन/परिवार पेंशन के उन्नयन (Stepping up) के पात्र नहीं होंगे। (RBE 141/11)

14. 01.01.1996 के पूर्व का पेंशनर/परिवार पेंशनर अगर पेंशन/परिवार संशोधन हेतु आवेदन करता है उस पर समय सीमा सम्बन्धी दबाव दिये बिना यथोचित कार्यवाही की जानी चाहिये। (RBE 01/12)

15. फौज तथा/या सिविल सेवा के मामले में दो परिवार पेंशन देय होगी। (RBE 12/13)

16. उचित नामांकन (Valid nomination) न होने की अवस्था में पेंशन भुगतान। (RBE 06/96, 80/13)
17. Extra Ordinary Pension हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। (RBE 96/13)
18. The Railway Service (Pension) amendment Rules 2013 सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी किया गया। (RBE 97/13)

अनुग्रही अदायगी (Ex-gratia Payment) :

ऐसे एस आर पी एफ (अंशदायी) विकल्प वाले कर्मचारियों (जो दिनांक 01.04.1957 से 31.12.1985 के बीच मृत्यु / सेवानिवृत्त हुये हो) की विधवा / बच्चे भी अनुग्रही अदायगी के 01.01.1986 से हकदार होंगे। यह कर्मचारी की मृत्यु की अगली तिथि से रूपये 150 + मंहगाई राहत प्रतिमाह की दर से देय होगी, यदि वे इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों को पूरा करते हों।

एसआरपीएफ (अंशदायी) योजना वाले ऐसे रेल कर्मचारी जिन्हें जो सेवा से बर्खास्त, निष्कासित किया गया हो या जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी विधवा / बच्चे अनुग्रही अदायगी के हकदार नहीं होंगे।

01.11.1997 से अनुग्रही अदायगी की दर रूपये 605 + लागू मंहगाई राहत के रूप में बढ़ा दी गई हैं।

1986 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत एसआरपीएफ अंशदायी योजना के लाभार्थियों की विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को उनकी 25 वर्ष की उम्र होने के बाद अनुग्रही अदायगी का लाभ नहीं दिया जायेगा जैसा कि अविवाहित पुत्री के मामले में होता है। (RBE 13/09)

एसआरपीएफ (अंशदायी) लाभार्थियों को अनुग्रही अदायगी :

एसआरपीएफ (अंशदायी) लाभार्थियों को निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर दिनांक 01.11.1997 से रूपये 600/- तथा दिनांक 04.06.13 से रूपये 645/- + मंहगाई राहत प्रतिमाह की दर से अनुग्रही अदायगी का हकदार माना गया है। (RBE 75/13)

अनुग्रही अदायगी की संशोधित दरें दिनांक 01.11.2006 से निम्नानुसार रहेगी:-

समूह "ए" रूपये 3000 + मंहगाई राहत / प्रतिमाह

समूह "बी" रूपये 1000 + मंहगाई राहत / प्रतिमाह

समूह "सी" रूपये 750 + मंहगाई राहत / प्रतिमाह

समूह "डी" रूपये 650 + मंहगाई राहत / प्रतिमाह

अनुग्रही अदायगी उन जीवित सेवानिवृत्त एसआरपीएफ (अंशदायी) विकल्प कर्त्ताओं के लिये हो जो :-

1. दिनांक 01.04.1957 से 31.12.1985 के बीच सेवानिवृत्त हुये हों, बशर्त है कि उन्होंने अधिवार्षिता सेवानिवृत्त से पूर्व लगातार कम से कम 20 वर्ष की सेवा की हो।

2. इन अनुदेशों के अधीन जिन्हें अनुग्रही अदायगी स्वीकृत की गई उन्हें भी समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार मंहगाई अनुग्रही तथा मंहगाई राहत देय होगी।

3. एस आर पी एफ (अंशदायी) योजना के किसी भी समूह के जीवित सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो दिनांक 01.11.2006 से अनुग्रही राशि ले रहे थे तथा बाद में मृत हो गये तो उनके उत्तराधिकारी को रूपये 605 + डियरनेस एक्सग्रेसिया + डियरनेस रिलीफ की अदायगी की जायेगी। (RBE 170/06)

4. ऐसे एस आर पी एफ (अंशदायी) के कर्मचारी जो दिनांक 01.01.1986 से पूर्व 20 वर्ष की लगातार सेवा पश्चात स्वेच्छिक सेवानिवृत्त या मेडिकल अयोग्य होने के कारण सेवानिवृत्त हुये हैं, वे भी अनुग्रह अदायगी के हकदार होंगे। (RBE 69/13)

भविष्य निधि :

रेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति, मृत्यु, इस्तीफा, निष्कासन, बर्खास्तगी की तिथि को उसके भविष्य निधि खाते में कुल शेष राशि तथा उस पर प्रचलित दरों से ब्याज पाने का हकदार होगा।

अधिवार्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले के एक वर्ष में जमा राशि मय ब्याज की राशि के 90% तक की राशि अन्तिम निकाकसी के रूप में आहरित कर सकते हैं।

सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु की दशा में भविष्य निधि की जमा राशि मय ब्याज का भुगतान नामांकन के आधार पर कर दिया जायेगा। यदि नामांकन उपलब्ध नहीं है तो राशि का वितरण परिवार में दर्शाये गये सदस्यों को बराबर हिस्सों में कर दिया जायेगा। यदि परिवार में कोई सदस्य नहीं हैं। तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

यदि मृत कर्मचारी के परिवार में केवल अवयस्क बच्चा ही हो तो, भुगतान कानूनी संरक्षक को कर दिया जायेगा। हिन्दू धर्म में माँ व मुसलमानों में पिता को प्रकृतिक संरक्षक माना गया है। ईसाई एवं अन्य भारतीय, संरक्षकता अधिनियम 1925 से शासित है तथा इस लेखे भुगतान, कानूनी संरक्षक को संरक्षकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।

[(वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.7 रहेगी – (RBE 37/13)]

भविष्य निधि में जमा सम्बद्ध बीमा (Deposit linked Insurance scheme) :

(RBE 238/98)

यह योजना कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के समय उसके भविष्य निधि खाते में जमा राशि से सम्बन्धित है तथा इस हेतु अलग से कोई अंशदान नहीं करना होता है। इस योजना के लाभ हेतु कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक है तथा इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम रूपये 60000/- का भुगतान किया जाता सकता है। इस हेतु आवश्यक है कि अंशधारक की जमा शेष कर्मचारी की मृत्यु के माह से पिछले तीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीमा से कम नहीं होना चाहिये— (यह आदेश दिनांक 06.06.2009 से प्रभावी हैं।) (RBE 221/09)

1. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड-02 (रूपये 9300—34800) या ऊपर के हो तथा ग्रेड पे रूपये 4800/- प्रतिमाह या अधिक प्राप्त कर रहे हों, उनके लिये रूपये 25000/-

2. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड-02 (रूपये 9300—34800) या ऊपर के हो तथा ग्रेड पे रूपये 4200/- प्रतिमाह या अधिक लेकिन रूपये 4800/- से नीचे हो, उनके लिये रूपये 15000/-

3. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड-02, 01 या पे बैण्ड 1—एस (रूपये 4400—7440) या ऊपर के हो तथा ग्रेड पे रूपये 1400/- प्रतिमाह या अधिक लेकिन ग्रेड पे रूपये 4200/- से नीचे हो, उनके लिये रूपये 10000/-

4. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के अनुसार अंशदाता जिस पद को धारण करता है वह पे बैण्ड 1—एस (रूपये 4400—7440) के हो तथा ग्रेड पे रूपये 1300/- प्रतिमाह या उससे अधिक लेकिन ग्रेड पे रूपये 1400/- से नीचे हो, उनके लिये रूपये 6000/-

सूत्र : भविष्य निधि शेष + जिस माह में कर्मचारी की मृत्यु हुई उससे पूर्व के 36 माह की जमा पर ब्याज /36 क.

ख. इस योजना के तहत प्राप्त अतिरिक्त राशि कोर्ट अटेचमेण्ट से मुक्त नहीं है।

ग. इस योजना के तहत प्राप्त राशि कर मुक्त है।

घ. इस योजना के तहत प्राप्त राशि में से सरकारी बकाया की वसूली की जा सकती है।

ड़ इस योजना के तहत लाभ अंशधारक के आत्म हत्या करने पर भी देय है।

च अंशधारक के गुम / खो जाने पर भुगतान सात वर्ष की समयावधि के बाद, पर्याप्त सबूत के बिना भी यह मानते हुये कि उसका / उसकी मृत्यु हो गई हो, कर दिया जायेगा।

(रे.बो. प.स. ई(डब्ल्यू)97 / डब्ल्यू.ई.—1 / 13 दिनांक 01.04.1998, पृष्ठ संख्या 340 RBO 98)

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) :

(RBE 234/89)

प्रभावी : यह योजना दिनांक 01.11.1980 को अधिसूचित की गई तथा 01.01.1982 (अपराह्न) से प्रभावी हुई।

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को कम लागत तथा पूर्णतः अंशदान एवं स्ववित्त पोषण के आधार पर सेवा में रहते हुये कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को बीमा रक्षण का लाभ प्रदान करना तथा सेवानिवृत्ति पर उनकी आय संवर्धन हेतु एक मुश्त राशि प्रदान करना है।

किन पर लागू : यह योजना रेल सेवा सहित केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू है लेकिन इस योजना में अनियत मजदूर, अंशकालिक तथा तर्द्ध आधार पर सेवा करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं होगा यह योजना उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगी जो 50 वर्ष की आयु के पश्चात केन्द्रीय सरकार के अधीन भर्ती किये गये हों।

सदस्यता : दिनांक 01.11.1980 के पश्चात केन्द्रीय सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से यह योजना लागू होगी। जो कर्मचारी 01.11.1980 को केन्द्रीय सरकारी सेवा में थे। उनको यह विकल्प दिया गया कि वे 31.10.1981 तक इस योजना से बाहर रहने हेतु विकल्प दे सकते हैं। जिन कर्मचारियों ने उक्त तिथि तक इस योजना से बाहर रहने का विकल्प नहीं दिया, उन्हें इस योजना के प्रभावी होने की तिथि से उसका सदस्य मान लिया गया, किन्तु जिन कर्मचारियों ने इस योजना से बाहर रहने का विकल्प दिया था, उन्हें इस योजना में सदस्य बनने हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 27.10.1986 को दिया गया तथा इसके आगे कोई अवसर नहीं दिया गया। योजना के प्रभावी होने के बाद किसी भी वर्ष दो जनवरी अथवा इसके बाद सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों को योजना की अगली वर्षगांठ पर योजना के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है।

सदस्यों के लिये अंशदान :

दिनांक 31.12.1989 तक योजना के लिये 10 रूपये प्रतिमाह की यूनिटों में अंशदान निर्धारित था तथा दिनांक 01.01.1990 से योजना के लिये अंशदान रूपये 15 प्रतिमाह की यूनिटों में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है—

समूह “घ” कर्मचारी एक यूनिट $15 \times 1 = 15/-$ रूपये प्रतिमाह

समूह “ग” कर्मचारी एक यूनिट $15 \times 2 = 30/-$ रूपये प्रतिमाह

समूह “ख” कर्मचारी एक यूनिट $15 \times 4 = 60/-$ रूपये प्रतिमाह

समूह “क” कर्मचारी एक यूनिट $15 \times 8 = 120/-$ रूपये प्रतिमाह

किसी कर्मचारी की एक समूह से दूसरे समूह में नियमित पदोन्नति होने पर उस कर्मचारी का अंशदान इस योजना की अगली वर्षगांठ से उस समूह के स्तर के अनुरूप बढ़ा दिया जायेगा। जिसमें उसकी पदोन्नति हुई है। लेकिन अगली वर्षगांठ तक ऐसा कर्मचारी उसी राशि का बीमा रक्षण प्राप्त करेगा, जिसके लिये वह ऐसी पदोन्नति से पूर्व पात्र था। एक बार यदि कोई कर्मचारी किसी उच्चतर समूह में शामिल कर लिया गया हो तो उसके अंशदान की दर उसी स्तर पर जारी रहेगी भले ही वह कर्मचारी बाद में किसी भी कारण से निचले समूह के पद पर प्रत्यावर्तित क्यों न हो जायें।

नोट :-

(i) यदि कोई समूह “बी” कर्मचारी वरिष्ठ वेतनमान में तदर्थ आधार पर लगाया गया हो तो उसकी तदर्थ आधार पर की गई व्यवस्था को इस उद्देश्य के लिये नियमित आधार पर पदोन्नति के समान ही माना जायेगा ताकि उसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा रक्षण का लाभ दिया जा सके, जैसा कि समूह “ए” कर्मचारियों को दिया जाता है।

(RBE 109/2003)

(ii) पूर्व ग्रुप “डी” कर्मचारी जिन्हें पीबी-1 में ग्रेड पे 1800/- में रखते हुये RBE 05/2010 द्वारा ग्रुप “सी” वर्गीकृत किया गया हैं उनके समूह बीमा के अन्तर्गत 01.01.2011 से 30/- प्रतिमाह काटे जायेंगे।(RBE 145/10)

गैर सदस्यों के लिये बीमा अंशदान एवं बीमा रक्षण :

किसी भी वर्ष 02 जनवरी को या उसके बाद सेवा में आये कर्मचारियों उनके द्वारा सरकारी सेवा शुरू करने की तिथि से उनके इस योजना में सदस्य बनने की तिथि तक बीमा रक्षण के प्रत्येक 15000/-, 30000/-, 60000/- व 120000/- के लिये बीमा अंशदान के रूप में क्रमशः रूपये 05/-, 10/-, 20/- व 40/- प्रतिमाह अंशदान का भुगतान करने पर उन्हें समुचित बीमा रक्षण का लाभ दिया जायेगा। वे इस योजना की वर्षगांठ की तारीख से इस योजना के सदस्य बन जायेंगे तथा उपर्युक्त दर्शायें गये समूह के अनुसार अंशदान करेंगे।

सदस्यों के लिये बीमा निधि तथा बीमा राशि :

(RBE 276/89)

योजना के प्रत्येक सदस्य को बीमा रक्षण प्रदान करने के लिये कुल अंशदान का 30 भाग बीमा निधि के खाते में डाला जाता है, जो कि रूपये 15 अंशदान प्रतिमाह को यूनिट के लिये रूपये 15000/- होगा। यह उन कर्मचारियों के परिवारों को देय होगा, जिनकी सेवा के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, जिसमें आत्महत्या भी शामिल है।

बचत निधि :

अंशदान की शेष राशि बचत निधि में डाली जाती है। इस राशि पर ब्याज सहित पूर्ण राशि सेवानिवृत्ति के समय या रेल सेवा समाप्ति पर कर्मचारी को स्वयं अथवा सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को देय होगी, यह राशि बीमा रक्षण के अतिरिक्त होगी।

अंशदान की वसूली :

अंशदान प्रत्येक माह, उस माह सहित जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्याग-पत्र, बर्खास्तर्गी इत्यादि के कारण सेवा से अलग हुआ है, वसूल किया जायेगा।

अंशदान बीमा रक्षण की किश्त के रूप में सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि से योजना की सदस्यता लेने की तिथि तक। प्रत्येक माह की पहली तारीख को वसूल किया जोयगा।

यह अंशदान निलम्बित कर्मचारी से भी वसूला जायेगा।

वेतन / मजदूरी के भुगतान पर विलम्ब के कारण अंशदान की वसूली नहीं की जा सकने पर अंशदान की बकाया राशि पर ब्याज नहीं लिया जायेगा।

कर्मचारी के लम्बे समय तक असाधारण छुट्टी पर रहने के कारण किसी माह वेतन / मजदूरी के भुगतान न होने के कारण अंशदान नहीं कर पाने की स्थिति में कर्मचारी के भविष्य में बनने वाले वेतन में से अंशदान की राशि तथा उस पर बचत निधि की ब्याज दर से ब्याज की कटौती एकमुश्त या अधिकतम तीन किश्तों में की जायेगी। यदि असाधारण छुट्टी की अवधि में ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाये तो शेष राशि परिवार को किये जाने वाले भुगतान में से काट ली जायेगी।

बीमा निधि / बचत निधि में से भुगतान :

यदि सरकारी कर्मचारी की सेवायें समाप्त हो गई हो तो बचत निधि का भुगतान एक साधारण आवेदन देने पर ही कर दिया जायेगा।

कर्मचारी की मृत्यु के मामले में बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के अलावा कर्मचारी जिस समूह का सदस्य था, उस समूह बीमा रक्षण राशि का भुगतान मृत कर्मचारी के नामित व्यक्ति द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन करने पर दिया जायेगा।

कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो बीमा राशि प्राप्त करने का पात्र हो, योजना के सदस्य कर्मचारी की हत्या करने अथवा ऐसा अपराध करने के लिये उकसाने का आरोप हो तो दण्डित कार्यवाही के दौरान उसके भुगतान के दावे को निलम्बित रखा जायेगा। दण्डित कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर उसके

हिस्से की बीमा राशि का भुगतान परिवार के अन्य सदस्यों को बराबर बॉट दिया जायेगा ताकि दोषी नहीं पाये जाने पर उसके हिस्से की राशि का भुगतान उसे कर दिया जायेगा। लेकिन इस राशि पर ब्याज नहीं दिया जायेगा।

यदि इस योजना का कोई सदस्य लापता है तथा उसे खोजा नहीं जा सका है तो बीमा रक्षण लापता व्यक्ति के नामित / वारिस को उसके लापता होने के अगले माह से 07 वर्ष की अवधि के बाद बीमा रक्षण का भुगतान कर दिया जायेगा लेकिन दावाकर्ता द्वारा इस हेतु लापता व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में सही एवं अविवादित साक्ष्य अथवा न्यायालय का आदेश प्रस्तुत करना होगा, जिसमें दर्शाया गया हो कि सम्बन्धित कर्मचारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अधीन मृत मान लिया गया है साथ ही इस हेतु निम्नलिखित शर्तों / प्रक्रिया को पूरा होना आवश्यक है :-

(i) यदि योजना का कोई सदस्य लापता हो जाता है तथा उसे खोजा नहीं जा सका हो तो उसके परिवार को सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिये तथा वहाँ से एक रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिये कि पुलिस द्वारा सभी प्रयास करने के बावजूद लापता कर्मचारी को खोजा नहीं जा सकता है।

(ii) सदस्य / कर्मचारी के वारिस से एक क्षतिपूर्ति बाण्ड लेना होगा कि यदि कर्मचारी मिल जाता है व योजना में दुबारा शामिल हो जाता है एवं इस हेतु किसी प्रकार का दावा करता है तो इस सम्बन्ध में किये गये भुगतान को कर्मचारी को भविष्य में मिलने वाले भुगतान में समायोजित कर दिया जायेगा।

(iii) बचत निधि में जमा राशि का भुगतान कर्मचारी के लापता होने के माह के, एक माह बाद से एक वर्ष की अवधि के बाद कर्मचारी के नामित / वारिस को कर दिया जायेगा। बीमा राशि का भुगतान लापता कर्मचारी के नामित / वारिस को उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही किया जायेगा, चाहे कर्मचारी की सामान्य सेवानिवृत्ति इस अवधि के बीच में ही क्यों न हो।

(iv) लापता कर्मचारी की गुमशुदगी के माह के अलग माह से एक वर्ष की अवधि पश्चात 06 वर्षों तक अथवा उस माह तक जिस तक बीमा रक्षण का भुगतान किया गया हो, जो भी बाद में हो, तब तक रुपये 15000/- की बीमा रक्षण राशि के लिये रुपये 4.50 प्रतिमाह की दर से अंशदान की कटौती की जायेगी।

नामांकन (Nomination) :

(i) यदि नामांकन करने वाला सदस्य अवयस्क हैं तो उसे वयस्कता प्राप्त करने पर नामांकन करना आवश्यक है। यदि सदस्य का परिवार है तो नामांकन केवल अपने परिवार के सदस्य / सदस्यों के पक्ष में करेगा।

(ii) नामांकन करते समय अगर उसका परिवार है तो नामांकन परिवार के सदस्य / सदस्यों का ही किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य हेतु परिवार से वही तात्पर्य है जो सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियम-1960 से है।

(iii) महिला सदस्य कार्यालय अध्यक्ष को अगर लिखित में अपने पति को परिवार से अलग (Exclude) करने बाबत सूचित करती है तो उसी समय से उसके पति को सम्बन्धित योजना के लिये परिवार का सदस्य तब तक नहीं समझा जायेगा जब तक की वह महिला इस प्रकार की सूचना को लिखित में रद्द न कर दें।

(iv) परिवार सदस्य के नामांकन में जहाँ अवयस्क भाई वयस्क हो जाये, अविवाहित बहन का विवाह हो जाये, विधवा बहन का पुनर्विवाह हो जाये तो ऐसे सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन अवैद्य / अमान्य हो जायेगा।

(v) यदि इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं किया गया है तो भविष्य निधि नियम के अनुसार, भविष्य निधि में किया गया नामांकन इस सन्दर्भ हेतु स्वीकार किया जा सकता है।

(vi) यदि नामांकन नहीं किया गया है तो तथा पी.एफ. में भी नामांकन नहीं है तो राशि का भुगतान परिवार के सदस्यों जिनमें विधवा / विधवाओं / अवयस्क पुत्र / पुत्रों, अविवाहित पुत्री / पुत्रियों में बराबर हिस्सों में कर दिया जायेगा। अवयस्क बच्चों का हिस्सा, मुस्लिम महिला के मामले को छोड़कर, अवयस्क बच्चों की माँ को किया जायेगा। मुस्लिम महिला के मामले में अवयस्क बच्चों द्वारा संरक्षक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) उचित नामांकन न होने की अवस्था में पेंशन बकाया का भुगतान – पात्र सदस्य / सदस्यों के न होने की अवस्था में कानूनी उत्तराधिकारी को सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

(RBE 06/96, 80/13)

(viii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना ताकि छुट्टी वेतन का देरी से भुगतान होने पर ब्याज देय नहीं होगा क्योंकि ये सेवानिवृत्ति परिलाभों की प्रकृति में नहीं आते हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामान्य बीमा योजना के भुगतान को रोका नहीं जा सकता है तथा किसी वित्तीय संस्थान से गृह निर्माण हेतु लिये गये ऋण की देनदारियों के दावे को छोड़कर, इसमें से अन्य सरकारी बकायों की राशि की वसूली नहीं की जा सकी है।

(RBE 15/2000 & 72/12)